[2019] 4 एस. सी. आर. 709

अंकुश मारुति शिंदे और अन्य

वी.

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1008-1009 2007 का)

05 मार्च, 2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 395 , 302 34, एस. एस. के साथ पढ़ें। 376 (2) (छ), 307 को एस के साथ पढ़ा जाता है। 34 , एसएस। 396 , 397 और 398-हत्या के साथ डकैती और बलात्कार

- अभियोजन पक्ष का मामला कि पाँच व्यक्तियों की हत्या, डकैती के साथ-साथ एक महिला के साथ बलात्कार-दो की गवाही

चश्मदीद गवाह पी. डब्ल्यू. आई. और पी. डब्ल्यू. 8, और टी. आई. परेड में और/या अदालत के समक्ष अभियुक्त की पहचान उसके आधार पर,

मूल अभियुक्त सं. की दोषसिद्धि और मृत्युदंड। 1 , 2 & 4 , मूल अभियुक्त सं. के संबंध में मृत्युदंड में परिवर्तन किया गया। 3 , 5 & 6 आजीवन कारावास के साथ-साथ उन्हें यू/एस अपराध के लिए भी बरी कर दिया। 376 (2) (छ)-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः हत्या और बलात्कार वास्तव में एक निंदनीय कार्य है और प्रत्येक अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए।

शीघ्रता से, गंभीरता से और सख्ती से-हालाँकि, यह तभी संभव है जब अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया गया हो-पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य के अलावा तथ्यों पर, अभियोजन मामले की पुष्टि करने वाला कोई अन्य वैज्ञानिक और/या अन्य सबूत नहीं है, जो आरोपी को अपराध से जोड़ता है-पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 आई. ओ. और/या आरोपी का कोई विवरण/विवरण देने में सक्षम नहीं हैं।

मजिस्ट्रेट जिन्होंने टी. आई. परेड का संचालन किया और न ही अपराधी को कोई भूमिका देने में सक्षम हुए-बड़ी चूक/विरोधाभास/सुधार हैं जो अभियोजन मामले के लिए घातक हैं, इस प्रकार, पी. डब्ल्यू. 8 की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता पर उचित संदेह पैदा करते हैं-टी. आई. परेड में पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा अभियुक्त की पहचान भी एक गंभीर संदेह पैदा करती है-इस प्रकार, टी. आई. परेड में और/या अदालत के समक्ष पी. डब्ल्यू. आई. और पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा उनकी पहचान के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है-साथ ही टी. आई. परेड के संचालन में देरी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण और टी. आई. परेड में पर्याप्त प्रकाश के बारे में संदेह नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घटना का समय-इसके अलावा, जांच एजेंसी/अभियोजन पक्ष द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं की गई थी-अभियोजन पक्ष ने अदालत से भौतिक तथ्य को दबा दिया-इसे देखते हुए, अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के लिए बरी कर दिया गया-परीक्षण पहचान परेड।

जाँचः आयोजित का महत्वः निष्पक्ष और सत्यवादी जाँच अनिवार्य है-निष्पक्ष जाँच में निष्पक्ष जाँच शामिल है।

कला द्वारा परिकल्पित। 20 और 21-जाँच का उद्देश्य अंततः सच्चाई की खोज करना और अपराधी को कानून के दायरे में लाना है-यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को अदालत के ध्यान में लाया जाए-जाँच विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिए ताकि कानून के मूल नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

तथ्यों पर, जांच अधिकारी, मजिस्ट्रेट और यहां तक कि घायल चश्मदीद गवाह ने घटना के तुरंत बाद दर्ज किए गए चश्मदीद गवाह के बयान के भौतिक तथ्य को जानबूझकर और जानबूझकर अदालत से दबा दिया, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जिसमें उसने विशेष रूप से चार व्यक्तियों की पहचान की जिन्होंने कुख्यात अपराधियों की तस्वीरों के एल्बम से अपराध किया है-मजिस्ट्रेट ने बाद में टीआई परेड का संचालन किया।

उन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था या नहीं या आगे कोई जांच की गई थी-इस प्रकार, जांच एजेंसी-भारत का संविधान-कला की ओर से एक गंभीर चूक हुई थी। 20 और 21.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 178 (3) - इसके अलावा

पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच-तथ्यों पर, उन चार व्यक्तियों के संबंध में कोई जाँच नहीं हुई, जिनकी पहचान घटना के तुरंत बाद घायल चश्मदीद गवाह द्वारा की गई थी और ये चार व्यक्ति अन्य थे जिन पर छह व्यक्तियों ने मुकदमा चलाया और दोषी ठहराया।

परिणामस्वरूप, वास्तविक अपराधी मुक्त हो गए-इस प्रकार, कोई निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप कानून का उल्लंघन हुआ।

अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की गारंटी यू/आर्ट्स। 20 और 21-जाँच एजेंसी की ओर से ऐसा आचरण और

अभियोजन की दृढ़ता से निंदा की जाती है-यू/एस जांच करने के लिए अभियोजन। 173 (8) घायल प्रत्यक्षदर्शी द्वारा चार व्यक्तियों की पहचान की गई।

अंकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

भारत का संविधानः कला. 142 - क्षतिपूर्ति-पुरस्कार-कोई निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई नहीं, चार व्यक्तियों की पहचान की गई

घायल प्रत्यक्षदर्शी द्वारा, घटना के तुरंत बाद-अन्य छह व्यक्ति जिन पर मुकदमा चलाया गया, दोषी ठहराया गया और हत्या और बलात्कार के अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई, वे लगातार तनाव में रहे

और मृत्यु के निरंतर भय में-खामियों को देखते हुए, सभी छह व्यक्तियों को बरी कर दिया जाता है-यू/आर्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 142 , राज्य

महाराष्ट्र सरकार को रुपये का मुआवजा देना है। 5 प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। अभियुक्त द्वारा अपीलों को स्वीकार करते हुए और राज्य द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1. हत्या और बलात्कार वास्तव में एक निंदनीय कार्य है और प्रत्येक अपराधी को शीघ्रता से, कठोरता से और सख्ती से दंडित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह केवल तभी संभव है जब अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया गया हो। [पैरा 10.5] [758-बी-सी]

2.1 टीआई परेड अपराध की तारीख से 50 दिनों के बाद और ए 1 और ए 2 की गिरफ्तारी के 33 दिनों के बाद आयोजित की गई थी। अभियुक्त ने

व्यक्तियों को स्थानांतरण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। यहां तक कि ए 6 को एक साल से अधिक समय के बाद गिरफ्तार किया गया था, और ए 6 के लिए टीआई परेड एक साल से अधिक समय बाद आयोजित की गई थी। टीआई परेड के संचालन में देरी के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

[पैरा 9.3] [749-एच; 750-ए-बी]

2.2 इस बात पर बहुत गंभीर संदेह है कि घटना के समय झोपड़ी में पर्याप्त रोशनी थी या नहीं। तथ्यों और परिस्थितियों में, न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 अपराध करने वाले व्यक्तियों पर उचित नज़र रखने में सक्षम होते। न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 पुलिस को अभियुक्त या उनके द्वारा पहने गए कपड़ों का वर्णन करने में सक्षम थे। कोई पहचान करने वाली विशेषताएँ नहीं दी गई थीं। मुकदमे में, अभियुक्तों से जब्त किए गए कपड़ों की पहचान पीडब्लू1 या पीडब्लू8 द्वारा नहीं की गई थी। न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 थे

दोषियों को विशिष्ट भूमिकाएँ देने में सक्षम। यहां तक कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दौरान पीडब्लू1 और पीडब्लू8 बेहोश हो गए थे। इसलिए, उक्त गवाह उपयुक्त नहीं थे

देखने और याद रखने की शर्त और यही कारण है कि न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 ने [2019] 4 एस. सी. आर. के दौरान पुलिस को दोषियों के विवरण-ऊंचाई, बाल, चेहरे की विशेषताओं, रंग, दाढ़ी आदि के बारे में विवरण दिया।

जाँच। यहां तक कि घटना के बारे में पीडब्लू8 का पूरा साक्ष्य और विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका भी एक चूक/सुधार है। पीडब्लू8 द्वारा उसके बयान में जो कुछ भी कहा गया है, वही उसके बयान में पहली बार कहा गया है, जो ढाई साल बाद दर्ज किया गया था। जाँच के दौरान दर्ज किए गए उसके बयानों में पुलिस/विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह नहीं बताया गया था। जब उसकी प्रतिपरीक्षा में, उसे इस तरह की चूक/सुधारों का सामना करना पड़ा, तो उसने केवल एक चीज ली है जिसे उसने बताया था

राय है कि चूक प्रमुख चूक हैं और सुधार जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हैं और किसी भी मामले में, यह विश्वसनीयता पर उचित संदेह पैदा करता है

और पीडब्लू8 की विश्वसनीयता। [पैरा 9.4,9.9] [750-बी, ई-एच; 753-बी, ई-एफ]

2.3 यहां तक कि टीआई परेड में पीडब्लू1 द्वारा अभियुक्त की पहचान भी एक गंभीर संदेह पैदा करती है। पीडब्लू1 ने स्पष्ट रूप से कहा है

कि दोषियों ने उससे हिंदी में बात की। उनके अनुसार, वे आपस में हिंदी में भी बात कर रहे थे। पीडब्लू8 भी

उसी की पुष्टि की। सभी पीड़ित मराठी बोलने वाले हैं। इसलिए, अगर आरोपी पीड़ितों से बात करते, तो वे मराठी में बोलते, न कि हिंदी में। इसलिए, इस बात की संभावना है कि जो अपराधी हिंदी बोल रहे थे, वे मराठी बोलने वाले नहीं थे और वे बाहरी-गैर-मराठी हो सकते हैं। [पैरा 9.5] [751-डी-एफ]

2.4 न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 ने आई. ओ. और/या टी. आई. का संचालन करने वाले उप-मंडल मजिस्ट्रेट को कोई विवरण दिया।

परेड। इसलिए, किस आधार पर अन्य नकली व्यक्ति थे-अंकुश मारुति शिंदे बनाम।

टी. आई. परेड में लाया गया और मौजूद था, अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं आया है। ऐसा भी कोई बयान नहीं है कि डमी आरोपी व्यक्तियों से मिलते-जुलते थे। हालांकि, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिन्होंने टीआई परेड का संचालन किया था, उन्हें डमी व्यक्तियों का चयन करने की आवश्यकता होती है, तत्काल मामले में, डमी व्यक्तियों का चयन पुलिस द्वारा किया गया था। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए और

परिस्थितियों में, टीआई परेड और/या अदालत के समक्ष पीडब्लू1 और पीडब्लू8 द्वारा उनकी पहचान के आधार पर ही अभियुक्त को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के बयान के अलावा और उन्होंने टीआई परेड में और/या अदालत के समक्ष आरोपी की पहचान की, अभियोजन मामले की पुष्टि करने वाला कोई अन्य वैज्ञानिक और/या अन्य सबूत नहीं है। कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करना। वास्तव में, डीएनए, फिंगर प्रिंट साक्ष्य और सीए साक्ष्य मामले का समर्थन नहीं करते हैं।

अभियोजन, और/या अभियुक्त को अपराध से जोड़ें। जाँच के दौरान डी. एन. ए. के नमूने एकत्र किए गए थे और वास्तव में डी. एन. ए. विश्लेषण के लिए भेजे गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कभी भी अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। पीड़ितों में से किसी पर भी अभियुक्त के गुप्तांग के बाल, डीएनए, वीर्य या खून नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों से नमूने एकत्र किए गए थे और उन्हें जेल भेजा गया था

विश्लेषण, लेकिन परिणाम ने आरोपी को दोषी नहीं ठहराया। [पैरा 9.6,9.7] [751-जी-एच; 752-ए-ई] 2.5 ए 5 की माँ के घर की तलाशी के दौरान 26.06.2003 पर जब्त की गई एक टूटी हुई सफेद धातु की चेन को छोड़कर किसी भी आरोपी से कोई चोरी की संपत्ति नहीं मिली है या बरामद नहीं हुई है। हालाँकि, पंचनामे पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। द.

पंचनामे में यह भी नहीं कहा गया है कि जब्त की गई संपत्ति को सील कर दिया गया था। चेन को "30 लिंक वाली एक सफेद धातु की चेन के रूप में वर्णित किया गया था, बीच की कड़ी को तोड़ दिया जाता है और एक तार से बांध दिया जाता है। का मूल्य उसी को शून्य कहा गया था। चेन पर कोई विशेष निशान नहीं थे और यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उक्त चेन पीडब्लू1 की है, पीडब्लू1 ने स्वीकार किया था कि उसने पुलिस को चेन का कोई विवरण नहीं दिया है। इस चेन को छोड़कर, किसी भी आरोपी से कुछ भी जब्त या बरामद नहीं किया गया था। इसलिए, बिना किसी विशिष्ट निशान के आम तौर पर उपलब्ध सफेद धातु की चांदी की चेन को जब्त करना आरोपी को दोषी ठहराने के लिए सबूत का एक कमजोर टुकड़ा होगा। [पैरा 9.8] [752-एफ-एच; 753-ए] [2019] 4 एस. सी. आर.

2.6 घटना के दो दिन बाद पीडब्लू 8 की मृत्यु घोषणा/बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने चार लोगों की तस्वीरों की पहचान की

कुख्यात अपराधियों के एल्बम से उन लोगों के रूप में जिन्होंने अपराध किया। मान लीजिए, वर्तमान अभियुक्त उन चार व्यक्तियों में से नहीं हैं जिनकी पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा फोटो एल्बम से की गई है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अपने बयान में उसने पीडब्लू 13 द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान के बारे में कुछ नहीं कहा था और उसने उसे दिखाए गए कुख्यात अपराधियों के एल्बम से चार लोगों की तस्वीरों की पहचान की थी। इसलिए, उस हद तक, पीडब्लू8 द्वारा भौतिक तथ्य का दमन भी किया जाता है। वास्तव में, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त को रोक दिया गया था। केवल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई के दौरान, यह प्रकाश में आया और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में उन्हें वापस बुला लिया गया और जब उनका उपरोक्त के साथ सामना किया गया, तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से, उन्होंने कहा कि जिन चार व्यक्तियों की पहचान उनके द्वारा की गई थी, वे वर्तमान अभियुक्तों में से एक ही व्यक्ति थे। हालांकि, इस तरह का रुख पीडब्लू 13 के बयान के बिल्कुल विपरीत है। उसके द्वारा क्या कहा गया है

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार जब उसे वापस बुलाया गया था, तब उसके बयान की पुष्टि अन्य सबूतों से नहीं होती है।

[पैरा 9.10] [753-एच; 754-ए-डी]

2.7 पीडब्लू8 का बयान विरोधाभासों/चूक और सुधारों से भरा है और उसने सही और सही नहीं कहा है

तथ्य। इसलिए, वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने इस मामले को स्वीकार नहीं किया

बचाव पक्ष ने यह देखते हुए कि पीडब्लू 13 द्वारा दर्ज पीडब्लू 8 के बयान को एक अंतिम घोषणा नहीं कहा जा सकता है, बल्कि एक मात्र बयान है जिसका उपयोग केवल पुष्टि के लिए किया जा सकता है और

विरोधाभास। इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार भी, पीडब्लू 13 द्वारा दर्ज किया गया उनका बयान जिसमें उन्होंने नामों के साथ कुल 4 अन्य व्यक्तियों की पहचान की थी, विरोधाभास के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतर्विरोध भौतिक अंतर्विरोध हैं और उन्होंने न्यायालय से भौतिक तथ्य को भी दबा दिया है। [पैरा 9.11] [755-एफ-एच]

3.1 यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निष्पक्ष और सच्ची जांच अनिवार्य है। इसे विवेकपूर्ण तरीके से स्वीकार किया जाता है।

उस निष्पक्ष सुनवाई में संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा परिकल्पित निष्पक्ष जांच शामिल है। पुलिस की भूमिका एक अंकुश मारुति शिंदे बनाम होना है।

महाराष्ट्र राज्य

नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, कि अपराधों की जाँच करना इसके प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। कि

जाँच का उद्देश्य अंततः सच्चाई की खोज करना और अपराधी को कानून के दायरे में लाना है। यह सुनिश्चित करने के अलावा कि अपराधों को दंडित नहीं किया जाता है, यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करे और यह भी सुनिश्चित करे कि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को सच्चाई के न्यायसंगत निर्धारण के लिए अदालत के ध्यान में लाया जाए ताकि उचित न्याय हो। यह सुनिश्चित करना जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जांच निष्पक्ष हो और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट न करे। व्यक्तिगत रूप से, कानून के अनुसार को छोड़कर। न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच के स्थापित पहलुओं में से एक अभियुक्त का ऐसे सभी दस्तावेजों की माँग करने का अधिकार है जो वह Cr.PC द्वारा परिकल्पित योजना के तहत पाने का हकदार हो सकता है।

[पैरा 10,10.1] [756-ई-एच]

3.2 कानून द्वारा ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं है जो सच्चाई के विपरीत हो। भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में, अभियुक्त को अलग-अलग मामलों की तुलना में कुछ लाभप्रद स्थिति में रखा जाता है। दुनिया के कुछ देशों के न्यायशास्त्र। भारत में आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली मानवाधिकारों और मानवाधिकारों की गरिमा को बहुत उच्च स्तर पर रखती है और आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। कथित अभियुक्त निष्पक्ष और सच्ची जाँच और निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है और अभियोजन पक्ष से अपराध के मुकदमे में संतुलित भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। कानून के मूल नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिए।

ये आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में निहित संवैधानिक जनादेश के अनुरूप हैं।

[पैरा 10.2] [757-ए-सी]

वी. के. शशिकल बनाम अधीक्षक द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व

(2012) 9 एससीसी 771: [2012] 10 एस. सी. आर. 641; दरिया सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर 1965 एस. सी. 328: [1964] 7 एस. सी. आर. 397 संदर्भित है। 3.3 अभियोजन/जाँच एजेंसी से उम्मीद की जाती है कि

अभियुक्त के साथ-साथ न्यायालयों से कुछ भी छिपाए बिना ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से कार्य करें, जो [2019] 4 एस. सी. आर. के खिलाफ जा सकता है।

अभियोजन। उनका अंतिम उद्देश्य हुक या धोखे से दोषसिद्धि प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। उक्त सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, कोई निष्पक्ष और ईमानदार जांच नहीं हुई और यहां तक कि अभियोजन पक्ष ने अदालत से भौतिक तथ्य को दबाने की कोशिश की। तत्काल मामले में, जांच अधिकारी, पीडब्लू 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट और यहां तक कि पीडब्लू 8-घायल चश्मदीद गवाह ने अदालत से पीडब्लू 8 के बयान के भौतिक तथ्य को दबा दिया, जो पीडब्लू 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उसने विशेष रूप से चार व्यक्तियों की पहचान की थी जिन्होंने कुख्यात अपराधियों की तस्वीरों के एल्बम से अपराध किया है। इस प्रकार, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक स्वतंत्र गवाह होने के नाते अदालत के समक्ष सही तथ्यों को बताना था। पीडब्लू 13 वही विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने बाद में टीआई परेड का संचालन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि

तथ्य यह है कि जाँच अधिकारी और अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर उक्त तथ्य को अदालत से रोक दिया। पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के अनुसार, और यहां तक कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, 7 से 8 व्यक्तियों ने अपराध किया था। हालांकि, पी. डब्ल्यू. 12-मकान मालिक के भतीजे-मौके पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि पी. डब्ल्यू. 1 ने उन्हें बताया कि चार व्यक्ति हमलावर थे और उन्होंने अपराध किया। पीडब्लू8 ने चार व्यक्तियों की पहचान की

7.6.2003 कुख्यात अपराधियों की तस्वीरों के एल्बम से जिनके नाम विशेष रूप से पीडब्लू8 के बयान के अनुसार नोट किए गए थे। तत्काल मामले में कोई भी आरोपी उन चार व्यक्तियों में से नहीं है जिनकी पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा 7.6.2003 पर की गई है। इसलिए, यदि वे चार व्यक्ति जिनकी पहचान पीडब्लू8 द्वारा अभियुक्त के अलावा अन्य के रूप में की गई थी

तत्काल मामले को तत्काल मामले में जोड़ा जाता है, यह कहा जा सकता है कि 12 व्यक्ति/हमलावर थे जिन्होंने अपराध किया था और इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला कि 7-8 व्यक्ति थे

विफल हो जाता है और इसलिए ऐसा लगता है कि उक्त तथ्य जांच अधिकारी द्वारा नहीं कहा गया था और उसी को उसके द्वारा दबा दिया गया था

जानबूझकर और जानबूझकर। यहाँ तक कि जाँच भी निष्पक्ष और ईमानदार जाँच नहीं लगती है। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि उन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था या नहीं या उन चार व्यक्तियों के संबंध में कोई आगे की जांच की गई थी। जब पीडब्लू8 ने चार व्यक्तियों की पहचान की जिन्होंने अपराध किया था, तो उनकी स्मृति ताजा थी और इसे लंबे समय बाद आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए था। जाँच अधिकारी को एक अंकुश मारुति शिंदे बनाम का संचालन करना चाहिए था।

महाराष्ट्र राज्य

उस लाइन पर जाँच करें और उन चारों को गिरफ्तार करना चाहिए था

व्यक्ति और उन चार व्यक्तियों के खिलाफ जांच करनी चाहिए थी। इसके विपरीत, तत्काल मामले में अभियुक्तों को डेढ़ महीने की अवधि के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह भी स्थानांतरण वारंट पर, हालांकि इसका कोई विवरण नहीं था।

पी. डब्ल्यू. 1 या पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा दिया गया अभियुक्त। ए 6 को डेढ़ साल की अवधि के बाद गिरफ्तार किया गया था। सभी अभियुक्त व्यक्ति समाज के निचले वर्ग से आने वाली खानाबदोश जनजातियाँ हैं और बहुत गरीब मजदूर हैं। अतः तथ्यों और परिस्थितियों में

3.4 अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इस तरह की खामियों के कारण, और विशेष रूप से अब तक जांच नहीं करने में पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा पहचाने गए उन चार व्यक्तियों के रूप में, असली अपराधी कानून के चंगुल से बाहर हो गए हैं और मुक्त हो गए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा नहीं हो सकती है

कायम रहा। सभी अभियुक्तों को उन अपराधों के लिए बरी कर दिया जाता है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था और यदि अन्य अपराधों में आवश्यकता नहीं होगी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। [पैरा 12,15,16] [760-ए; 761-एफ; 763-जी]

3.5 न्यायालय उक्त तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है कि पाँच व्यक्तियों की हत्या/हत्या की गई है, जिनमें से एक महिला भी है। बलात्कार किया गया था और यह कि कोई निष्पक्ष जांच नहीं है और अभियोजन/जांच एजेंसी की ओर से कोई जांच नहीं करने में चूक के कारण उन चार व्यक्तियों की पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा विशेष कार्यकारी के समक्ष 7.6.2003 पर की गई थी।

मजिस्ट्रेट। जाँच और/या अनुचित जाँच में चूक का लाभ उन व्यक्तियों को देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वास्तविक अपराधी हैं और वास्तव में जिन्होंने अपराध किया है। दुर्भाग्य से, उन चार व्यक्तियों के संबंध में कोई जांच नहीं हुई, जिनकी पहचान पीडब्लू8 ने अपने बयान में की थी। इसलिए यह [2019] 4 एस. सी. आर. है।

4. यह सामने आया है कि पीडब्लू8 द्वारा पहचाने गए चार व्यक्तियों के बारे में कोई जांच नहीं की गई है। इसके विपरीत, तत्काल मामले में आरोपी खानाबदोश जनजाति थे और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था और उन्हें शामिल किया गया था। एक को छोड़कर, वे सभी पिछले 16 वर्षों से जेल में हैं। सभी मौत की सजा की फांसी की तलवार का सामना कर रहे थे। छह अभियुक्त व्यक्तियों में से एक को बाद में नाबालिग पाया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से राय दी है कि वे इसके तहत रहे हैं

कई वर्षों तक उप-मानव स्थितियाँ। इसलिए, सभी आरोपी लगातार तनाव में और मृत्यु के निरंतर भय में रहे। चूंकि वे मौत की सजा का सामना कर रहे थे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने पैरोल, फरलोन आदि की किसी अन्य सुविधा का लाभ न उठाया हो। वे सभी जो 25-30 वर्ष की आयु के बीच थे (और एक किशोर था) ने जेल में अपने जीवन के मूल्यवान वर्ष खो दिए हैं। उनके परिवार के सदस्यों को भी नुकसान हुआ है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य को मुआवजे के रूप में प्रत्येक आरोपी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

[पैरा 14] [760-एफ-एच; 761-ए-डी]

5. महाराष्ट्र राज्य के गृह विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले को देखें और सरासर लापरवाही या दोषपूर्ण चूक के कारण अभियोजन मामले की विफलता के लिए जिम्मेदार ऐसे गलती करने वाले अधिकारियों/अधिकारियों की पहचान करें और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें, वास्तविक अपराधी कानून के चंगुल से बाहर हैं और जिनकी चूक के कारण मामला तुरंत मामले में बरी हो गया है। [पैरा 15] [763-डी-ई]

गुजरात राज्य बनाम। किशनभाई (2014) 5 एससीसी 108:

[2014] 1 एस. सी. आर. 197-निर्भर।

वैकुंठम चंद्रप्पा बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1960 एस. सी. 1340; इकबाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 623; राम सुंदर सेन बनाम। नरेंदर (2016) 15 एस. सी. सी. 440-संदर्भित।

अंकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1960 एस. सी. 1340

पै

रा 5.16

(2015) 6 एस. सी. सी. 623

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.4

(2016) 15 एससीसी 440

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.43

[2012] 10 एससीआर 641

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.3

[1964] 7 एससीआर 397

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.4

[2014] 1 एससीआर 197

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1008-1009 2007 से।

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 22.03.2007 निर्णय और आदेश से

2006 के आपराधिक अपील संख्या 590 के साथ 2006 के पुष्टिकरण मामले संख्या 2 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

के साथ

2009 की आपराधिक अपील Nos.881-882 और 2019 की 268-269। निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, युग चौधरी, सिद्धार्थ,

एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, के. परी वेंधन, विलियम विनोथ कुमार, पानपिया राजन, ऋषभ संचेती, सबरिश सुब्रमण्यन, विष्णु उन्नीकृष्णन, सुश्री मलार वेंधन (टी. हरीश कुमार के लिए), अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

श्रीमती गीता कोविलन, राहुल कौशिक, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे. ये सभी अपीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, और इस प्रकार,

2006 के आपराधिक अपील संख्या 590 के साथ 2006 के पुष्टिकरण मामले संख्या 2 में पारित बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 22.03.2007 के विवादित फैसले से उत्पन्न होता है, और इस सामान्य फैसले द्वारा निपटाया जा रहा है।

1.1 विवादित निर्णय द्वारा, बॉम्बे की एक खंड पीठ

उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 366 के तहत विद्वत तीसरे तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नासिक (इसके बाद 'सत्र न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा दिए गए संदर्भ का निपटारा कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.2 सत्र न्यायालय ने सत्र मामला सं. 43/2004 में निर्णय और आदेश दिनांक 12.06.2006 द्वारा सभी छह अभियुक्तों में दोषी ठहराया-मूल

अभियुक्त नं. 1 आई. पी. सी. की धारा 395,302 के साथ 34, धारा 376 (2) (जी), आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ धारा 307, आई. पी. सी. की धारा 396,397 और 398 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 6 तक।

1.3 विद्वान सत्र न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई।

विद्वान सत्र न्यायालय ने अन्य लोगों के लिए भी अलग-अलग दंड लगाए।

अपराध जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। सभी दोषी अभियुक्तों ने विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 590/2006 दायर की। जैसा कि ऊपर देखा गया है, विद्वान सत्र न्यायालय ने मृत्यु की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय का संदर्भ दिया

सजा, जिसे 2006 के पुष्टि मामला संख्या 2 के रूप में दर्ज किया गया था।

1.4 कि उच्च न्यायालय, मूल अभियुक्त सं. की दोषसिद्धि और मृत्युदंड को बरकरार रखते हुए। 1 , 2 & 4 , मूल अभियुक्त सं. के संबंध में मृत्युदंड में परिवर्तन किया गया। 3 , 5 & 6 जुर्माने के साथ आजीवन कारावास। अभियुक्त सं। 1 , 2 & 4 आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया था और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी

अभियुक्त संख्या के संबंध में धारा 376 (2) (जी) के तहत दोषसिद्धि और सजा। 3 , 5 & 6. उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 307, आई. पी. सी. की धारा 395 के साथ पठित धारा 397 और आई. पी. सी. की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि की।

2. बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए,

मूल अभियुक्त सं। 1 , 2 & 4 आपराधिक अपील संख्या को प्राथमिकता दी है। 1008-1009 2007 से। महाराष्ट्र राज्य ने आपराधिक अपील संख्या भी दायर की है। 881-882 मूल अभियुक्त संख्या के संबंध में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने को चुनौती देते हुए 2009 का अधिनियम। 3,5 , & 6. राज्य ने मूल अभियुक्तों को बरी करने के फैसले को भी चुनौती दी है। 3 , 5 & 6 धारा 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आईपीसी।

2.1 कि 30.04.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने मूल अभियुक्त संख्या द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। 1 , 2 & 4 और राज्य द्वारा पसंद की गई अपीलों को अनुमति दी और राजधानी अंकुश मारुति शिंदे v को बहाल किया।

महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त के रूप में अब तक दी गई सजा

2.2 कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने दिनांकित 31.10.2018 के आदेश द्वारा समीक्षा आवेदनों की अनुमति दी, और इस न्यायालय द्वारा दिए गए 30.04.2009 के निर्णय और आदेश को वापस ले लिया, न कि केवल अभियुक्त के लिए नं. 3 , 5 & 6 , लेकिन क्या अन्य अभियुक्तों ने यह भी कहा कि साक्ष्य सामान्य है और अपराध एक ही घटना से संबंधित हैं, और इसलिए, यह उचित और उचित है कि 30.04.2009 दिनांकित निर्णय

सभी छह अभियुक्तों से संबंधित, पूरी तरह से याद किया गया। समीक्षा आवेदनों को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने दिनांकित 30.04.2009 के फैसले को याद किया और आपराधिक अपीलों को इस न्यायालय की फाइल में बहाल करने का निर्देश दिया और निर्देश दिया कि अपीलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह न्यायालय उन अपीलों को बहाल करते हुए जिन्हें मूल अभियुक्त सं. 1 , 2 & 4 और महाराष्ट्र राज्य ने भी अभियुक्त संख्या को अनुमति दी। 3 , 5 & 6 उन्हें दोषी ठहराने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करना, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, और इस तरह से अभियुक्त संख्या। 3 , 5 & 6 आपराधिक अपील संख्या को प्राथमिकता दी है। 268-269 उन्हें दोषी ठहराने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 2019 का निर्णय। इसलिए, ये सभी अपीलें अब एक नई सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष हैं।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का संस्करण इस प्रकार हैः

बरगद और आधा पैंट और वे परिवार के सदस्यों को धमकी देने लगे। उन्होंने पैसे के साथ-साथ गहने भी मांगे और ट्रामबक बाहर ले गया रु. 3000 / -अपनी जेब से और उनमें से एक को सौंप दिया। गिरोह के कुछ सदस्य विमलबाई के व्यक्ति से मंगलसूत्र के साथ-साथ कान के शीर्ष और डोर्ली, सविता के व्यक्ति से कान के शीर्ष और उनके पैरों के आसपास की चांदी की अंगूठियां जबरन ले गए। मनोज के व्यक्ति से उन्होंने एक चांदी की चेन और एक कलाई घड़ी हटा दी। इसके बाद वे झोपड़ी से बाहर निकले और शराब पी ली। कुछ समय बाद वे (2019) 4 एस. सी. आर.

चाकू, कुल्हाड़ी के हैंडल, दरांती, हैंडल और योकपिन आदि जैसे हथियारों के साथ फिर से झोपड़ी में प्रवेश किया, ताकि घर के सदस्यों को लूटा जा सके और अधिक पैसे और गहने आदि एकत्र किए जा सकें। वे परिवार को पीटने लगे। सदस्यों और ट्रामबक पर हमला होने वाला पहला व्यक्ति था। संदीप और परिवार के अन्य सदस्यों ने डकैतों से कहा कि वे घर से जो कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं उसे ले जाएं लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। इस स्तर पर संदीप पर हमला किया गया और उसी तरह श्रीकांत @भूर्या, भरत और मनोज पर भी हमला किया गया। डकैतों ने विमलबाई को भी नहीं बख्शा। उन्होंने मनोज को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों के हाथ-पैर बांध दिए।

और विमलबाई। हमले के परिणामस्वरूप मनोज, ट्रामबक, संदीप, श्रीकांत और भरत बेहोश हो गए थे। तीन डकैतों ने सविता को झोपड़ी से बाहर निकाला और उसे अमरूद के बगीचे में ले गए। फिर दो डकैतों ने विमलबाई को उठाया और उसे कुएं की ओर घसीटा। उनमें से एक ने कुएँ के पास उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे अमरूद के बगीचे में ले जाया गया जहाँ सविता को ले जाया गया था। विमलबाई पर हमला किया गया और उन्हें वापस झोपड़ी में लाया गया। कुछ समय बाद तीनों डकैत सविता को वापस ले आए लेकिन नग्न अवस्था में और उसके शरीर पर चोटों के साथ। जब डकैत दोपहर लगभग 1 बजे झोपड़ी में घुसे तो झोपड़ी में बत्ती जल रही थी और टीवी चल रहा था। डकैतों ने टेप रिकॉर्डर की मात्रा बढ़ा दी और जब उन्होंने सविता को झोपड़ी में गिरा दिया, तो उन्होंने जूते पहन लिए और घायल पड़े लोगों पर चलने लगे और उन्हें लगा कि वे सभी हैं। मर चुके थे। विमलबाई (पीडब्लू 8) रात के लगभग 12 बजे होश खो बैठी और तब तक डकैत झोपड़ी में मौजूद थे और वे इस विश्वास के साथ झोपड़ी से निकल गए कि सभी पीड़ित मर चुके हैं। हालांकि, पीडब्लू 1 मनोज और उनकी मां पीडब्लू 8 विमलबाई बच गईं।

3.1 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सुबह लगभग 6 बजेः 30 ए. एम. 6.6.2013 पर, एक विष्णु हागवाने (पी. डब्ल्यू. 12), के भतीजे

मकान मालिक मौके पर पहुंचा और शवों को देखा। उस समय तक पीडब्लू1-मनोज सातोटे होश में आ गए थे। पीडब्लू1-मनोज सातोटे ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में

मनोज और विमलबाई को जब्त कर लिया गया। मौके से कुछ हथियार जैसे लकड़ी के हैंडल, हैंडल के साथ कुदाल, योकपिन और दरांती भी जब्त की गई।

अंकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया और प्रदर्शनी 58 से प्रदर्शनी 72 तक सीए रिपोर्ट प्राप्त की गई। वह मूल अभियुक्त सं। 1 & 2 अपराध शाखा द्वारा 23.6.2003 पर गिरफ्तारी पंचनामों (44 और 45 प्रदर्शित) के तहत गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार,

जाँच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि कुछ अन्य आरोपी भी जालना जिले के भोकरधन में पुलिस स्टेशन में 19.06.2003 पर दर्ज एक अलग अपराध में शामिल थे और इसलिए पुलिस ने सक्षम अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें भोकरधन पुलिस स्टेशन में दर्ज 2003 के अपराध संख्या 74 में आरोपी के स्थानांतरण की मांग की गई और अंत में आरोपी संख्या। 3 भोकरधन के पुलिस स्टेशन से उनकी हिरासत स्थानांतरित किए जाने के बाद 5 को गिरफ्तारी पंचनामों (53,54 और 55 को प्रदर्शित करता है) के तहत 27.06.2003 पर गिरफ्तार किया गया। कि अभियुक्त की गिरफ्तारी पर सं। 1 5 तक उनके कपड़े जब्त कर लिए गए और उनकी चिकित्सा जांच की गई। चिकित्सीय परीक्षण में, अभियुक्तों पर कुछ चोटें पाई गईं। 1 , 2 & 4. उपरोक्त अभियुक्त सं। 1 , 2 & 4 तीन सप्ताह के भीतर कुछ चोटें लगी हुई देखी गईं। संबंधित चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए गए (133 से 135 तक और 195 और 196 तक)। कि जाँच के दौरान, आरोपी संख्या की परीक्षण पहचान परेड। 1 5 तक कार्यकारी द्वारा 25.07.2003 पर आयोजित किया गया था

नं. 1 , 3 , 4 और 5 अज्ञात व्यक्तियों के रूप में जो झोपड़ी में घुस गए थे और परिवार के सदस्यों पर हमला किया था। लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। अभियुक्त नं. 2 . ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद अभियुक्त नं. 6 उन्हें 07.10.2004 पर गिरफ्तार किया गया और उनकी परीक्षण पहचान परेड 9.10.2004 पर आयोजित की गई। पीडब्लू1 और पीडब्लू8 दोनों ने उक्त अभियुक्त की भी पहचान की।

3.3 जाँच पूरा होने और अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मिलने पर, जाँच अधिकारी ने धारा 395 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 302 आई. पी. सी. की धारा 34, धारा 376 (2) (जी), आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 307, आई. पी. सी. की धारा 396,397 और 398 के साथ पढ़ें। कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जिसे सत्र मामला सं. 43/2004 के रूप में गिना गया था।

3.4 अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का नेतृत्व किया। अभियोजन पक्ष ने जांच की कम से कम 25 गवाह इस प्रकार हैं:

9] 4 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीडब्लू	नाम	भूमिका
1	मनोज सातोटे	शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी, एफ़. आई. आर. डीटी। 6.6.2003 Ex. 23
2	सुरेश जवारे	पंच से पूछताछ करें, पंचनामा [dt. 6.6.2003 Ex. 25-29 [सह-पंच रमन रतन बोई] सुबह 8:30 बजे - 11.30 मैं।
3	शंकर घुले	झोपड़ी के लिए स्पॉट पंच, पंचनामा डीटी। 6.6.2003 Ex. 31 11.45 एएम-12.45 पीएम।
4	भारत भोइर	झोपड़ी के लिए स्पॉट पंच, पंचनामा डीटी। 6.6.2003 Ex.31

5

कुएँ के लिए स्पॉट पंच, पंचनामा डीटी।

दादा पाल्डे

7.6.2003 Ex. 34 [सह-पंच

संदीप धुले] सुबह 8 बजे से 9 बजे तक।

अमरूद उद्यान का मकान मालिक।

6

रघुनाथ हागवाने

जब्त पंचनामा के लिए पंच

स्पॉट डी. टी. से चप्पल। 6.6.2013 Ex.

75 (सह-पंच काशीनाथ पलांडे]

12.50 अपराह्न-1.20 बजे।

चप्पलों की पहचान के लिए पंच

पीडब्लू1 डीटी द्वारा। 8.6.2003 Ex.

76 [को.

पंच काशीनाथ पलांडे] सुबह 9 बजे -

9.45 मैं।

इब्राहिम शेख

स्पॉट डी. टी. के लिए पंचनामा।

25.6.2003

7

अनुच्छेद ए [सह-पंच शब्बी

खतीब] सुबह 11 बजे-12.30 शाम।

चश्मदीद गवाह

8

विमलबाई सत ओते

पोस्टमॉर्टम के लिए ऑटोप्सी सर्जन

Dr.Dattatraya गडख

9

नोट्स डी. टी. 6.6.2003 Ex. 81 , 86 , 89 , 91 , 93 और मृत्यु का कारण प्रमाण पत्र डी. 6.6.2003 Ex. 82 , 85 , 87 , 88 , 90 , 92 , 94 , 96 , 99 , 101 .

पी. सी. विठ्ठल

लेखों को सी. ए. तक पहुँचाया।

10

11

लेखों को सी. ए. तक पहुँचाया।

पीएन सोनावने

विष्णु हागवाने

पीडब्लू6 के भतीजे। पहला व्यक्ति

12

मौके पर पहुँचें।

नकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

रमेश सोनावने

13

9.10.2004 Ex पर A6 का टी. आई. पी. आयोजित किया। 120 [पंचस चग्गन मग चव्हाण, राजेन्द्र मुरलीधर सरोदे] 11.30 पूर्वाह्न

12 दोपहर। लेटर्स एक्स। 118-9 , 121 .

पी. डब्ल्यू. 8 की दर्ज की गई मृत्यु घोषणा

Ex. 122 , 5.20 शाम 6 बजे तक।

सैय्यद बुधन

चेन डी. टी. युक्त पैकेट को खोलने और फिर से सील करने के लिए पंच करें। 22.8.03 Ex. 124 5 [सह-पंच दीपक घोडके] 12.15

14

अपराह्न-12.30 अपराह्न

डॉ. नलिनी शार्दुल

15

पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के लिए चिकित्सा अधिकारी
चोटें, प्रमाणपत्र पूर्व। 129-31 .

डॉ. सतीश शिम्पी

चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने 27.6.03, प्रमाणपत्र पूर्व 133-135 पर A3, A4, A5 की जांच की

16

22.6.03 पर अल और ए 2 को गिरफ्तार किया गया,

पीएसआई नारायण शिंदे

17

अंतर्वस्त्र जब्त करने के लिए पंचनामा। 24.6.03 Ex. 46-47 [8 सुबह-8.45 बजे]।

1.10.04 पर A6 को गिरफ्तार किया गया।

जाँच अधिकारी

एसीपी भास्कर्राव

18

धुस

भीमसिंह ओंकार

डॉग स्क्वाड के प्रभारी, पंचनामा डी.

19

29.6.2003 Ex. 164

प्रथम जाँच अधिकारी। रिकॉर्ड किया गया

पी. आई. काशीनाथ भरत

20

पीडब्लू1 एक्स की मृत्यु घोषणा। 178 डीटी।

6.6.03

A1, A3, A4, A5 के घरों की खोज की गई

पी. आई. रमेश पाटिल

21

26.6.03 पंचनामा पूर्व। 48-52 , 183 . ए 3, ए 4, ए 5 डीटी को गिरफ्तार किया गया। 27.6.03 Ex. 53-55 , 5.05 सुबह 5.45 बजे। ए 5 डीटी के घर से ज़ब्त की गई चेन। 26.6.03 Ex. 183 [पंच शेख इलियास और भीमराव

म्हास्के] दोपहर 1:30-2.30 बजे

पीआई शफीउद्दीन सैय्यद

दर्ज की गई एफ. आई. आर

22

23

पी. आई. शरद गावने

पी. डब्ल्यू. 8 डी. टी. 6.6.03 का अभिलिखित कथन

डॉ. विलास पाटिल

24

ए. एल. की जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी

और ए 2 डीटी। 23.6.03 Ex. 195-6

मजिस्ट्रेट जिन्होंने टी. आई. पी. का संचालन किया था

गोविंद अलहाते

25 .

डीटी। 25.7.03 अल-ए 5 एक्स के लिए।

224-228 ,

व्याख्या Ex. 229 .

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.5 उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने अभिलेख लाया और निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा कियाः

विशिष्टताएँ

एस. एल. नहीं।

एक्सएच। नहीं।

शिकायत

1 .

एक्सएच। 23

पंचनामों की जाँच करें

2 .

एक्सएचएस। 25 29 तक

3 .

स्पॉट पंचनामा

एक्सएच, 31 और एक्सएच। 34

चप्पल का पंचनामा जब्त करें

4 .

एक्सएच। 75

चप्पल की पहचान

5 .

एक्सएच। 76

मनोज

6 .

मृतक सविता के पी. एम. नोट्स

एक्सएच। 81

मौत का अग्रिम कारण

एक्सएच। 82

7 .

सविता का प्रमाण पत्र

मृत्यु प्रमाणपत्र का अंतिम कारण

8 .

एक्सएच। 85

सविता की

एक्सएच। 86

9 .

पी. एम. नोट्स ऑफ ट्राम्बक

एक्सएच। 87

मौत का अग्रिम कारण

10 .

ट्राम्बक का प्रमाण पत्र

11 .

मृत्यु प्रमाणपत्र का अंतिम कारण

एक्सएच। 88

ट्राम्बक का

पी. एम. नोट्स ऑफ भूर्या

12 .

एक्सएच। 89

मौर्य की मृत्यु का अंतिम कारण

एक्सएच। 90

13 .

पी. एम. नोट्स ऑफ संदीप

14 .

एक्सएच। 91

मृत्यु प्रमाणपत्र का अंतिम कारण

एक्सएच। 92

15 .

संदीप का पी. एम. नोट्स ऑफ भारत मोर

एक्सएच। 93

16 .

मृत्यु प्रमाणपत्र का अंतिम कारण

17 .

एक्सएच। 94

भारत का चिकित्सा अधिकारी की राय

18 .

एक्सएच। 107

सविता के बारे में मनोज का चिकित्सा प्रमाण पत्र

एक्सएच। 129

19 .

20 .

विमलबाई का चिकित्सा प्रमाण पत्र

एक्सएच। 131 और एक्सएच। 132

21 .

के बारे में चिकित्सा प्रमाण पत्र

एक्सएच। 133 135 और

अभियुक्तों की जाँच

एक्सएच। 195 और 196

उद्घोषणा आदेश

एक्सएच। 158

22 .

पहचान का पंचनामा

23 .

एक्सएच। 164

कुत्ते द्वारा

24 .

स्थल मानचित्र

एक्सएच। 169

सी. ए प्रमाणपत्र

25 .

एक्सएच।

58 72 एन. के. एस. एच. मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

3.6 कि अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम कार्यवाही प्रस्तुत किए जाने के बाद,

संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान था

जहां उन्होंने कोई अपराध करने से इनकार किया, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

3.7 कि उसके बाद, अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर,

मौखिक के साथ-साथ वृत्तचित्र, विद्वान सत्र न्यायालय ने सभी सेड नंबरों को अभिनिर्धारित किया। 1 आई. पी. सी. की धारा 34, धारा 376 (2) (जी), धारा 307 आई. पी. सी. की धारा 34, आई. पी. सी. की धारा 396,397 और 398 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 6 को दोषी ठहराया गया और आरोपी को निम्नानुसार दोषी ठहराया गयाः

" 1. अभियुक्त सं। (1) अंकुश मारुति शिंदे, (2) राज्य अप्पा

शिंदे, (3) अंबादास लक्ष्मण शिंदे, (4) राजू म्हासु शिंदे, (5) बापूअप्पा शिंदे और (6) सूर्या उर्फ सुरेश पुत्र नागू उर्फ गंगाराम शिंदे को दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। धारा 395,302 आर. डब्ल्यू. भारतीय दंड संहिता की धारा 34

376 (2) (छ), 307 आर. डब्ल्यू. भारतीय दंड संहिता की धारा 396,397

आर. डब्ल्यू 395 और सेक। 398 भारतीय दंड संहिता।

2. धारा 397 आर. डब्ल्यू. के तहत दंडनीय अपराध। 395 भारतीय

दंड संहिता सिद्ध हो जाती है। इसमें निम्नलिखित दंडनीय अपराध शामिल हैं -

भारतीय दंड संहिता की धारा 395 और 398, इसलिए कोई अलग नहीं

उसी के लिए सजा दी जाती है।

3. अभियुक्त सं। 1 6 को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है

धारा 302 आर. डब्ल्यू. के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 34।

उन्हें दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है।

धारा 303 आर. डब्ल्यू. भारतीय दंड संहिता की धारा 34। यह निर्देश दिया जाता है कि उन्हें उनकी गर्दन से तब तक लटका दिया जाता है जब तक कि वे मर नहीं जाते। सजा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन है।

4. अभियुक्त सं। 1 6 तक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें 10 साल की अवधि के लिए आर. आई. और जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।

प्रत्येक का Rs.200/-। जुर्माने का भुगतान न करने पर आगे भी भुगतना पड़ेगा

आर. आई. प्रत्येक 1 महीने की अवधि के लिए।

5. अभियुक्त सं। 1 6 को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है

धारा 307 आर. डब्ल्यू. के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 34। वे हैं।

प्रत्येक को 5 साल के लिए आर. आई. भुगतने की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर Rs.200/का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने का भुगतान न करने पर आर. आई.

प्रत्येक 1 महीने की अवधि।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. अभियुक्त सं। 1 6 को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है

भारतीय दंड संहिता की धारा 397 आर. डब्ल्यू. धारा 395 के तहत दंडनीय। उन्हें 7 साल की अवधि के लिए आर. आई. भुगतने की सजा सुनाई जाती है और प्रत्येक पर Rs.200/- का जुर्माना लगाया जाता है। भुगतान की चूक में

प्रत्येक 1 महीने के लिए आर. आई. भुगतने के लिए जुर्माना।

7. अभियुक्त सं। 1 6 को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है

भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत दंडनीय। और उन्हें 10 साल के लिए आर. आई. भुगतने की सजा सुनाई जाती है और जुर्माना भी लगाया जाता है।

Rs.200/- प्रत्येक। जुर्माने का भुगतान न करने पर प्रत्येक 1 महीने के लिए आर. आई. भुगतना होगा।

8. अभियुक्त सं। 1 6 को दंडनीय अपराध से बरी कर दिया जाता है।

बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत।

9. सभी वाक्य एक साथ चलने के लिए "।

4. विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा पर निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील सं. 590/2006 को प्राथमिकता दी। विद्वान सत्र न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त अपील और पुष्टि मामले के लंबित होने के कारण, 2006 का अंतिम आवेदन संख्या 1 महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर किया गया था।

2006 का आपराधिक आवेदन संख्या 2 अभियुक्त द्वारा दायर किया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष। इन आवेदनों पर 14.11.2006 दिनांकित सामान्य आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

" (i) अभियोजन पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति दी जाए।

उप-मंडल मजिस्ट्रेट जिन्होंने आरोपी Nos.1 से 5 और सभी संबंधित लोगों के संबंध में परीक्षण पहचान परेड का संचालन किया उससे संबंधित दस्तावेज।

((ii) बचाव पक्ष को पी. डब्ल्यू.-8 को वापस बुलाने और प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जाए।

एक्सएच से संबंध। 122 जो पहले से ही रिकॉर्ड में है।

(iii) यदि पीडब्लू-8 की प्रतिपरीक्षा में अभिलेख पर विरोधाभास स्थापित हो जाते हैं, तो विद्वत विचारण न्यायाधीश को उन विरोधाभासों के निर्देशों, यदि कोई हों, के लिए पीडब्लू-13 को भी याद करना चाहिए। ((iv) चूंकि पुष्टि का मामला लंबित है, इसलिए यह वांछित है कि अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यक रिकॉर्डिंग पूरी की जाए।

7 जनवरी, 2007 से पहले। अगले आदेशों के लिए मामले को सूचीबद्ध करें-अंकुश मारुति शिंदे बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

9 जनवरी, 2007 को सुनवाई के संबंध में। रिकॉर्ड हो सकता है

इस उद्देश्य के लिए विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया।

4.1 नतीजतन, पी. डब्ल्यू. 8 और पी. डब्ल्यू. 13 से बचाव पक्ष द्वारा आगे जिरह की गई और अभियोजन पक्ष ने एक अतिरिक्त गवाह यानी पी. डब्ल्यू. 8 और पी. डब्ल्यू. 13 से जिरह की।

श्री गोविंद अलहाटे, नासिक के सिटी मजिस्ट्रेट पी. डब्ल्यू. 25 के रूप में। उन्होंने अभियुक्तों की टी. आई. परेड आयोजित की थी। 1 25.07.2003 पर 5 तक। उनके साक्ष्य के माध्यम से प्रदर्शनी 217 से 229 में अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाया गया था। 224 से 228 तक के प्रदर्शन प्रत्येक अभियुक्त की टी. आई. परेड के ज्ञापन हैं। 1 5 तक और प्रदर्शनी 229 स्पष्टीकरण है उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सत्र न्यायालय के समक्ष, उप-मंडल मजिस्ट्रेट,

जिसने आई. डी. 1 पर टी. आई. परेड का संचालन किया, उसकी जांच नहीं की गई और इसलिए उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किया और अभियोजन पक्ष को उप-मंडल मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आरोपी संख्या 1 के संबंध में टी. आई. परेड का संचालन किया। 1 5 तक, 25.7.2003 पर आयोजित किया जाता है। पी. डब्ल्यू. 8 और पी. डब्ल्यू. 13 की प्रतिपरीक्षा और उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक आवेदन संख्या में पारित आदेश के परिणामस्वरूप दर्ज किए गए उनके अतिरिक्त बयानों से। 1 और 2006 का 2, यह पाया गया कि पीडब्लू 13 को मृत्यु की रिकॉर्डिंग के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ

7.6.2003 पर होश में आने के बाद पीडब्लू8 की घोषणा और उसने पुलिस द्वारा उसे सौंपी गई तीन फाइलों में से फाइल संख्या 80 में दिखाई गई तस्वीरों से चार अभियुक्तों की पहचान की थी, यानी फाइल संख्या। 70 , 76 और 80। यह भी रिकॉर्ड में आया कि वास्तव में, पीडब्लू8 ने तस्वीरों से चार व्यक्तियों की पहचान की थी, जो अभियुक्तों के अलावा अन्य हैं। 1 6 तक। कि यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त भौतिक साक्ष्य को रोक दिया और भौतिक तथ्य को दबा दिया। इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की ओर से यह भी मामला था कि अभियोजन पक्ष निष्पक्ष नहीं था और उन्होंने न्यायालय से भौतिक साक्ष्य को दबा दिया/रोक दिया और वास्तव में, कोई सबूत नहीं था। उन चार व्यक्तियों के संबंध में जो भी जांच हो, जिनकी पहचान पीडब्लू8 द्वारा की गई थी। उच्च न्यायालय अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन से सहमत नहीं हुआ और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सोनावने द्वारा दर्ज किए गए पीडब्लू8-विमलबाई की मृत्यु घोषणा के रूप में प्रदर्शनी 122 को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया कि पीडब्लू8 बाद में बच गई, प्रदर्शनी 122 को मृत्यु घोषणा नहीं कहा जा सकता है, और इसे जांच के दौरान उनका पिछला बयान कहा जा सकता है, और इसे एक ठोस सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसका उपयोग [2019] 4 एस. सी. आर. की पुष्टि या विरोधाभास के सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

इसके निर्माता की गवाही और किसी भी मामले में यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 या धारा 32 के तहत स्वीकार्य नहीं हो सकती है। कि इसके बाद, अभिलेख पर सामग्री पर विचार करते हुए और साक्ष्य की सराहना करते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्तों पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। 1 , 2 & 4. हालांकि, मौत बदल गई अभियुक्त सं. के संबंध में आजीवन कारावास की सजा। 3 , 5 & 6. उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को भी बरी कर दिया। 3 , 5 & 6 आईपीसी की धारा 376 (2) (जी) के तहत अपराध के लिए। इसलिए, मूल अभियुक्त के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य द्वारा वर्तमान अपील, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

5.1 मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों और परिस्थितियों में मामले में, नीचे की अदालतों ने आरोपी को दोषी ठहराने में भौतिक रूप से गलती की है।

5.2 मूल अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि घटना 10 के बाद हुईः 30

अभियोजन पक्ष के मामले में, आरोपी ने रोशनी बंद कर दी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह टॉर्च की रोशनी में था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि गवाहों, विशेष रूप से पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के लिए हमलावरों/अभियुक्तों की पहचान करना बहुत मुश्किल था। 5.3 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष समर्थन में है।

इसके मामले में केवल पहचान के साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, और केवल इसी साक्ष्य पर 6 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि आरोप बलात्कार और हत्या के लिए था, लेकिन अभियोजन मामले की पुष्टि करने वाला कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है। अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में, डीएनए, फिंगर प्रिंट साक्ष्य और पीड़ित द्वारा की गई प्रारंभिक पहचान अभियोजन मामले का खंडन करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई बरामदगी, फिंगर प्रिंट सबूत, सीए सबूत या आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले डीएनए सबूत नहीं हैं।

5.4 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने दो चश्मदीद गवाहों, पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के बयान पर भरोसा किया है।

यह अंकुश मारुति शिंदे बनाम है। महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया कि इस प्रकार दोनों गवाह-पीडब्लू1 और पीडब्लू8 विश्वसनीय नहीं हैं और उनका बयान विश्वसनीय नहीं है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने इस पर भरोसा करने में भौतिक रूप से गलती की है या

अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के बयान पर विचार करना।

5.5 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कहा गया कि दो चश्मदीद गवाहों, पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के अनुसार, अपराध 7-8 व्यक्तियों द्वारा किया गया था। हालाँकि यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 1 ने पी. डब्ल्यू. 12 के बयान के अनुसार-अमरूद ऑर्चर्ड के मकान मालिक के भतीजे, जो मौके पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ने उन्हें बताया कि अपराध चार व्यक्तियों द्वारा किया गया था।

5.6 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना के बारे में पीडब्लू8 का पूरा साक्ष्य और विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका एक चूक है और/या इसे एक सुधार कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय के समक्ष बयान में जो कुछ भी कहा गया था, उसमें से कोई भी कथित गवाह के विभिन्न बयानों में पुलिस को नहीं बताया गया था जो इस दौरान दर्ज किए गए थे।

उपरोक्त को विशेष रूप से बचाव पक्ष द्वारा पहले इंगित किया गया था विद्वत सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने यह देखते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया है कि चूक /

सुधार/विरोधाभास बड़े नहीं हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले को घातक बना दें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 8 के बयान में चूक/सुधार/विरोधाभास प्रमुख हैं। विरोधाभास/चूक/सुधार जो अभियोजन पक्ष के मामले को नष्ट कर देंगे और जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हैं।

जो सविता को झोपड़ी के बाहर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। यह है। आगे प्रस्तुत किया कि पीडब्लू8 टी. आई. पी. में उसकी पहचान करने में सक्षम नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध के तुरंत बाद टी. आई. पी. में उसकी पहचान करने में उसकी विफलता कई वर्षों बाद अदालत में उसकी पहचान को निरर्थक बना देती है। यह है।

प्रस्तुत किया कि ए 2 के बलात्कारी होने के बारे में पीडब्लू8 के बयान के आधार पर उसे उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा दी गई है।

5.8 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि झोपड़ी में कोई रोशनी नहीं थी और दोषियों [2019] 4 एस. सी. आर.

मशालों का इस्तेमाल किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह अत्यधिक संभावना नहीं होगी कि गवाह या तो अपने चेहरों को अच्छी तरह से देख सकते थे या दो महीने बाद उन्हें याद भी कर सकते थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 ने जांच के दौरान पुलिस को दोषियों के विवरण-ऊंचाई, बाल, चेहरे की विशेषताओं, रंग, दाढ़ी आदि के बारे में विवरण दिया, फिर भी वे टीआईपी में आरोपी को पहचानने/पहचानने में सक्षम होने का दावा करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए 1 से ए 5 को घटना के लगभग 2 महीने बाद और घटना के 1 महीने बाद टी. आई. पी. में रखा गया था।

ऊपर।

गिरफ्तारी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए 6 को एक साल से अधिक समय बाद टी. आई. पी. में रखा गया था और उसकी भी पहचान पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियुक्तों को टी. आई. पी. में पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा उनकी पहचान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, जो लंबे समय के बाद आयोजित किया गया था और वह भी जब पी. डब्ल्यू. 1 या पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया था।

जाँच के दौरान पुलिस के सामने पहले के बयान दर्ज किए गए।

5.9 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहचान के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले, अदालत को आश्वस्त करना होगा कि गवाह को अपराधी की विशेषताओं का निरीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त प्रकाश था, और यह कि गवाह देखने और याद रखने के लिए उपयुक्त स्थिति में था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, पीडब्लू1 और पीडब्लू8 इस दौरान बेहोश हो गए थे।

घटना; पीडब्लू1 बहुत जल्दी जब घटना हुई, और पीडब्लू8 थोड़ी देर बाद। वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और हमलावरों की विशेषताओं को देखने और नोटिस करने की उनकी क्षमता से गंभीर रूप से समझौता किया गया होगा।

बारूद के थैलों से बने और इसकी दीवारें तनों और पौधों से बनाई जाती थीं। झोपड़ी में जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं था। झोपड़ी में बिजली का मीटर नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्पॉट पंचनामा बनाने वाले आई. ओ. (पी. डब्ल्यू. 20) ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि "पंचनामे में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

शेड (झोपड़ी) में रोशनी थी या नहीं। 5.11 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि पीडब्लू1 जोर देकर कहता है कि बिजली की रोशनी थी

पर, वह यह भी कहता है कि अपराधी बैटरी मशालों का उपयोग कर रहे थे और मशाल की रोशनी में खोज कर रहे थे। वह स्वीकार करता है कि उसने पुलिस को बताया था कि दोषियों ने रोशनी बंद कर दी थी जब उन्होंने [कुश मारुति शिंदे बनाम पर हमला करना शुरू कर दिया था।

अपराध को समाप्त कर दिया। अभियुक्त के पक्ष में उपस्थित विद्वान वकील के अनुसार, निम्नलिखित तथ्य यह साबित करेंगे कि पीडब्लू1 और अपराध करने वाले व्यक्तियों पर उचित नज़र रखने में सक्षम नहीं थेबाड़ः

(i) न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 पुलिस को अभियुक्तों या उनके द्वारा पहने गए कपड़ों का वर्णन करने में सक्षम थे;

((ii) कोई पहचान करने वाली विशेषताएँ नहीं दी गई थीं;

(iii) मुकदमे के दौरान, अभियुक्तों से जब्त किए गए कपड़े नहीं थे

या तो पीडब्लू1 या पीडब्लू8 द्वारा पहचाना गया;

((iv) हालाँकि हमले के हथियार अपराध स्थल से जब्त किए गए थे, लेकिन इन्हें पी. डब्ल्यू. 1 को शायद इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि उसने

उन्हें पहचानने में सक्षम नहीं होता;

(v) भले ही अपीलकर्ताओं में से एक की उम्र 17 थी, और 2 की उम्र लगभग 20 थी, पीडब्लू1 और पीडब्लू8 ने पुलिस को बताया कि दोषियों की उम्र 25-30 वर्ष थी;

(vi) न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 दोषियों को विशिष्ट भूमिकाएँ देने में सक्षम थे। हमले के बारे में आरोप सर्वव्यापी शब्दों में थे। पीडब्लू1 विशेष रूप से कोई भूमिका निर्धारित नहीं करता है।

A2, A4, A5 और A6 के लिए;

(vii) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीडब्लू8 ने अपराध के तुरंत बाद उसे दिखाए गए फोटो एल्बमों से पूरी तरह से अलग लोगों की पहचान की है। मुकदमे के दौरान उसके साक्ष्य से पता चलता है कि उस समय भी वह आश्वस्त थी कि मजिस्ट्रेट द्वारा उसे दिखाई गई तस्वीरों में उसने जिन व्यक्तियों की पहचान की थी,

मान लीजिए कि वे कुछ अन्य व्यक्तियों के थे, अभियुक्त की तस्वीरें थीं 'और (viii) पीडब्लू1 और पीडब्लू8 की गवाही में उपरोक्त कमियों को केवल प्रकाश की अपर्याप्तता से समझाया जा सकता है।

घटना।

19] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.13 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू8 का बयान 4 अन्य लोगों की पहचान करता है 7.6.2003 पर घटना के 2 दिन से भी कम समय बाद की गई पहली पहचान है और यह घटना की तारीख के सबसे करीब है। यह पहचान पीडब्लू8 द्वारा तब की गई थी जब उनके दिमाग में छवियां अभी भी ताजा थीं और स्मृति फीकी नहीं हुई थी। पीडब्लू1 और पीडब्लू8 द्वारा वर्तमान अभियुक्त की पहचान करने के बाद की पहचान 25.7.2003 पर हुई, जो घटना की तारीख के डेढ़ महीने से अधिक समय बाद हुई, जिसमें पीडब्लू8 ए 2 की पहचान करने में विफल रहा, और ए 6 को पूरी तरह से विपरीत भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि फोटो पहचान समय की दृष्टि से सबसे पहले और अपराध की तारीख के करीब होना बहुत महत्वपूर्ण है।

5.14 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कहा गया कि फोटो पहचान के परिणाम टी. आई. पी. और अदालत में अभियुक्त की पी. डब्ल्यू. 8 की पहचान का पूरी तरह से खंडन करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस विरोधाभास के आलोक में, उसकी टी. आई. पी. पहचान और अदालत की पहचान को दरकिनार किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अदालत में पहचान एक ठोस सबूत है जो फोटो पहचान द्वारा भौतिक रूप से विरोधाभासी है और इसलिए अदालत में पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

5.15 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से यह कि पीडब्लू8 द्वारा 4 अन्य लोगों की पहचान टी. आई. पी. और अदालत में पीडब्लू1 द्वारा की गई पहचान का खंडन करती है और इसलिए इसे अविश्वसनीय बनाती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1 की अपनी गवाही के अनुसार, हमलावरों के झोपड़ी में प्रवेश करने के तुरंत बाद वह बेहोश हो गया। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1 ने पीडब्लू8 से बहुत पहले होश खो दिया था।

5.16 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू8 की पूर्व पहचान के लिए लेखांकन

4 व्यक्तियों और वर्तमान 6 अभियुक्तों की बाद में पहचान, पीडब्लू8 ने कुल मिलाकर 10 लोगों की पहचान अभियुक्त के रूप में की है, जबकि अभियोजन पक्ष का मामला है कि केवल 7 व्यक्तियों ने उक्त अपराध किया है। यह है।

प्रस्तुत किया कि पीडब्लू8 द्वारा इस गलत पहचान के कारण, आरोपी की पहचान के पीडब्लू8 के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। अपने निवेदन के समर्थन में, उन्होंने वैकुंठम चंद्रप्पा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1340 के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है।

5.17 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि पीडब्लू1 ने अदालत में अपने साक्ष्य में कहा था कि अपराध 7-8 व्यक्तियों द्वारा किया गया था। उन्होंने अपराध के दिन यानी 6.6.2003 पर दर्ज अपनी प्राथमिकी में भी यही बात कही थी। हालाँकि, एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले, घटना स्थल पर ही, अस्पताल ले जाने से पहले, उसने पी. डब्ल्यू. 12 (अपराध का पता लगाने वाले व्यक्ति) को बताया था कि अपराध 4-5 व्यक्तियों द्वारा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हमलावरों की संख्या में यह भारी विसंगति पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है कि यह अपराध 7-8 व्यक्तियों द्वारा किया गया था। हमलावरों की संख्या और प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में अदालत में उनके बाद के साक्ष्य स्पष्ट रूप से एक सुधार है और जो उन्होंने पहले कहा था, उसके विपरीत है।

5.18 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह अदालत में उसकी गवाही में, पीडब्लू8 ने कहा था कि अपराध 7 व्यक्तियों द्वारा किया गया था। पुलिस को दिए अपने पहले बयान में उसने कहा था कि अपराध 7-8 व्यक्तियों द्वारा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1 द्वारा गलत पहचान की संभावना और अभियुक्त के पीडब्लू8 को निम्नलिखित तथ्यों से मजबूती मिलती हैः

(i) पीडब्लू1 ने बार-बार कहा है कि दोषियों ने उनसे हिंदी में बात की थी। उनके अनुसार, वे भी आपस में बात कर रहे थे

हिन्दी में। पीडब्लू8 ने इसकी पुष्टि की है। सभी पीड़ित मराठी बोलने वाले हैं। पुलिस जाँचक अनुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी सेहो महाराष्ट्रसँ छथि आ मराठी भाषी छथि। यदि अभियुक्त-अपीलार्थी पीड़ितों से बात करते तो वे हिंदी में नहीं बल्कि मराठी में बात करते। यह तथ्य कि अपराधी हिंदी में बात करते थे, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वे मराठी बोलने वाले नहीं थे। यह इस अपराध में अभियुक्त-अपीलार्थियों के झूठे निहितार्थ की ओर भी इशारा करता है।

चूक और/या सुधार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अदालत में उसके बयान से पहले, दो बयान दिनांकित 6.6.2003 और 7.6.2003 थे क्रमशः पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अदालत में पीडब्लू8 द्वारा जो कहा गया है, वह उनके द्वारा अपने पहले के बयानों में नहीं कहा गया था, विशेष रूप से इस संबंध में कि घटना कैसे हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह साक्ष्य पहली बार अदालत में उसके बयान के माध्यम से एक विरोधाभास के रूप में सुधार के माध्यम से आया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 8 ने जांच के दौरान दर्ज अपने पहले के बयानों में न तो हमले या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का कोई विवरण दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

टी. आई. पी. में भी, उसने किसी भी भूमिका का श्रेय उन व्यक्तियों को नहीं दिया जिनकी उसने पहचान की थी, और न ही उसने टी. आई. पी. के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए किसी भी बयान में ऐसा किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली बार पीडब्लू8 ने घटना के बारे में आरोपी व्यक्तियों को दी गई भूमिका के बारे में कोई विवरण दिया, ढाई साल बाद अदालत में और उससे पहले कभी नहीं। इसलिए प्रस्तुत किया जाता है

5.20 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में पीडब्लू8 ने भौतिक तथ्य को दबा दिया न्यायालय से जब उसका पहला बयान विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू8 ने अदालत से इस भौतिक तथ्य को दबा दिया कि वास्तव में 7.6.2003 पर उन्हें तस्वीरें दिखाई गई थीं

कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने और यह कि उसने चार व्यक्तियों की पहचान की जो अभियुक्तों के अलावा अन्य हैं जो मुकदमा चलाने के लिए आए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उसे आगे उसी के साथ सामना करना पड़ा, तो उसकी आगे की प्रतिपरीक्षा में, जो पुष्टि मामले की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के अनुसार दर्ज की गई थी, वह पलट गई और कहा कि उसने चार व्यक्तियों की पहचान की जिन्होंने अपराध किया था, जो टी. आई. पी. में और अदालत के समक्ष पहचाने गए छह व्यक्तियों में से थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक भौतिक विरोधाभास है और यह भौतिक दमन का मामला था और इसलिए पीडब्लू8 की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है और इसलिए पीडब्लू8 जैसे गवाह के बयान पर भरोसा करना और ऐसे गवाह के बयान पर भरोसा करते हुए आरोपी को दोषी ठहराना असुरक्षित होगा।

5.21 जहाँ तक ए 2 का संबंध है, यह आगे अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि पीडब्लू8

दावा किया कि ए 2 ने सविता को झोपड़ी से बाहर निकाला और उसके साथ बलात्कार किया और उसे नग्न अवस्था में वापस लाया, वह टी. आई. पी. में ए 2 को पहचानने में असमर्थ थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए 2 की अदालत में उसकी पहचान, टी. आई. पी. में पिछली पहचान द्वारा असमर्थित, स्वीकार नहीं की जा सकती है, विशेष रूप से प्रकाश को देखते हुए। उस समय की स्थितियाँ और यह तथ्य कि वह स्वयं कार्यवाही के दौरान बेहोश हो गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए 2 से कोई वसूली नहीं हुई है। पीडब्लू8 एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा कि ए 2 सविता के बलात्कार में शामिल था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह इस कथन के आधार पर है, जिसकी पिछली टी. आई. पी. द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, कि ए 2 को अलग किया गया है और मौत की सजा दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से विद्वान सत्र न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि पीडब्लू8 ने टी. आई. पी. में सभी अभियुक्तों की पहचान की और दूसरे टी. आई. पी. में ए 6 की पहचान की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक स्पष्ट त्रुटि है क्योंकि पी. डब्ल्यू. 8 ने पहले टी. आई. पी. में ए 2 की पहचान नहीं की थी।

5.22 जहाँ तक ए 6 की पहचान और भूमिका का संबंध है, यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

5.23 यह आगे अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि पी. डब्ल्यू. 13, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ए 6 के लिए टीआई परेड का संचालन किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह वही मजिस्ट्रेट है जिसने पहले 7.6.2003 पर PW8 का बयान दर्ज किया था जहाँ उसने 4 अन्य व्यक्तियों की पहचान की थी। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह इस परेड से पहले ही जांच में भाग ले चुके थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पीडब्लू 13, गवाहों को परेड से पहले आरोपी को देखने से रोकने के लिए उनके द्वारा की गई किसी भी सावधानी का उल्लेख नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके विपरीत वह स्वीकार करता है कि परेड एक खुली जगह में आयोजित की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. आई. परेड एक बंद कमरे में आयोजित की जानी चाहिए थी ताकि जो गवाह बाहर हैं वे आरोपी को परेड में लाए जाने या उसके [2019] 4 एस. सी. आर. को देखने से रोक सकें।

लाइन में जगह। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी कोई बयान नहीं है कि डमी आरोपी व्यक्तियों से मिलते-जुलते थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8, जिन्होंने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया है, ने आरोपी या अपराध करने वाले व्यक्तियों के संबंध में कोई विवरण दिया है, और इसलिए, किस आधार पर डमी का चयन किया गया था, यह संदिग्ध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से कार्यकारी मजिस्ट्रेट को खुद डमी का चयन करने की आवश्यकता थी, लेकिन वह स्वीकार करता है कि डमी का चयन पुलिस द्वारा किया गया था।

5.24 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि पीडब्लू13 के साक्ष्य के अनुसार, पीडब्लू8 ने ए 6 की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने उस पर हमला किया था, उसकी बेटी को झोपड़ी से बाहर निकाला था और उसके साथ बलात्कार किया था। हालाँकि, पी. डब्ल्यू. 8 के दूसरे टी. आई. पी. के बारे में या किसी भी टी. आई. पी. में ए. 6 की पहचान करने के बारे में कुछ भी बयान देने की अनुपस्थिति में, पी. डब्ल्यू. 13 का यह सबूत सुनी-सुनाई बातों के रूप में अस्वीकार्य है। 5.25 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू13 के बयान में पीडब्लू8 को जिम्मेदार ठहराया गया है कि ए 6

सविता को झोपड़ी के बाहर घसीटा गया था, अदालत में उसके मौखिक साक्ष्य से विरोधाभासी है जहां वह कहती है कि ए 1, ए 2 और ए 4 ने सविता को झोपड़ी के बाहर घसीटा था। जिन लोगों ने सविता को झोपड़ी से बाहर घसीटा था, वे स्पष्ट रूप से वही थे जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। अदालत में अपने साक्ष्य में पीडब्लू8 काफी स्पष्ट था कि यह तीन व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया था, और उन्होंने उन तीन के रूप में ए 1, ए 2 और ए 4 का नाम लिया। अदालत में, वह इस भूमिका का श्रेय ए 6 को नहीं देती है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने उनकी मौत की सजा को बरकरार रखा और उनके मामले को उन अन्य लोगों से अलग किया जिनकी सजा को कम कर दिया गया था। टी. आई. पी. के दौरान उसका बयान अदालत में उसके बयान का खंडन करता है और घटनाओं का एक असंगत विवरण देता है।

5.26 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि यदि 'उसका' स्वयं पीडब्लू8 को संदर्भित करता है, तो पीडब्लू8 द्वारा ए 6 को दी गई यह भूमिका ए 6 के लिए पीडब्लू1 विशेषताओं की भूमिका के साथ असंगत है जब वह परेड में उसकी पहचान करता है, जो कि ए 6 ने सविता को झोपड़ी के बाहर घसीटा था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जिन लोगों ने सविता को झोपड़ी से बाहर घसीटा, वही थे जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया।

5.27 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि अदालत में पीडब्लू1 ने सविता को झोपड़ी से बाहर ले जाने का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है। वास्तव में, उसके बयान से यह स्पष्ट होता है कि वह बेहोश हो गया था और उसने सविता पर कोई हमला नहीं देखा था।

5.28 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी परीक्षण में देरी

पहचान परेड अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अपराध 5.6.2003 को हुआ, आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख 23 और 27 जून, 2003 है, और टी. आई. पी. 25.7.2003 पर आयोजित किया गया था, यानी, अपराध की तारीख से 50 दिन और ए 1 और ए 2 की गिरफ्तारी के 33 दिन बाद। यह प्रस्तुत किया जाता है कि टी. आई. पी. के संचालन में देरी के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

विद्वान वकील के अनुसार, सबसे अधिक संभावित स्पष्टीकरण यह है कि इस अवधि का उपयोग पुलिस द्वारा पीडब्लू1 और पीडब्लू8 को तस्वीरें दिखाने के लिए किया गया था ताकि वे अभियुक्त की विशेषता को याद रख सकें।

5.29 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि जहाँ तक ए 6 के संबंध में टी. आई. पी. का संबंध है, टी. आई. पी. को देरी के कारण दूषित किया जाता है क्योंकि ए 6 को एक साल से अधिक समय बाद गिरफ्तार किया गया था और ए 6 के लिए टी. आई. पी. एक साल से अधिक समय बाद आयोजित की गई थी।

5.30 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि पीडब्लू8 ने स्वीकार किया है कि वह अपने बयान से पहले दो या तीन बार अदालत में आई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन यात्राओं के दौरान, उसने निश्चित रूप से आरोपी व्यक्तियों को कठघरे में देखा होगा और इसलिए अदालत में उसकी गवाही का ज्यादा महत्व नहीं है।

5.31 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि अन्यथा भी पीडब्लू8 के बयान पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सबसे पहले पीडब्लू8 करता है

कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा 7.6.2003 पर दर्ज किए गए अपने बयान के संबंध में अपने पहले बयान में कुछ नहीं कहा, और यह कि उन्हें एल्बम की तस्वीरें दिखाई गईं और उन्होंने अपराध करने वाले चार व्यक्तियों की पहचान की, वे छह अभियुक्तों के अलावा अन्य थे। जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू8 ने अपने पहले बयान में इस बात से इनकार किया कि आरोपी की तस्वीरें पुलिस द्वारा उसे दिखाई गई थीं। सबूतों से यह स्पष्ट है कि जब पीडब्लू8 ने इस सुझाव का खंडन किया कि उसे तस्वीरें नहीं दिखाई गईं, तो वह सच नहीं बोल रही थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार आगे की जिरह के लिए बुलाया गया, तो उसने स्वीकार किया कि (i) पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों की 4 तस्वीरें दिखाई थीं, और उसने खुद बताया कि वे वही थीं।

घटना के अभियुक्त व्यक्ति; और (ii) जब मेरा बयान [2019] 4 एस. सी. आर. था।

मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित, जिन व्यक्तियों की मैंने अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में पहचान की थी, वे वर्तमान अभियुक्त के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति थे। यह है।

इसलिए प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 7.6.2003 पर पीडब्लू8 के पहले बयान में जो दर्ज किया है, उसके बिल्कुल विपरीत है। 5.32 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एन. ए. या फोरेंसिक साक्ष्य समर्थन नहीं करेंगे।

अभियोजन पक्ष का मामला और/या अभियुक्त को अपराध से जोड़ना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि आरोप बलात्कार और हत्या का है, लेकिन अभियोजन मामले की पुष्टि करने वाला कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है।

5.33 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्त अपीलार्थी शराब की बोतलों से मौके पर शराब पी रहे थे और एक हाथ से। अपराध स्थल से शराब की खाली बोतलें, एक हांडी और कुछ गिलास जब्त किए गए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को अपराध से जोड़ने के लिए कांच और शराब की बोतलों पर कोई डीएनए या उंगली के निशान नहीं हैं। आई. ओ., पी. डब्ल्यू. 20 ने स्वीकार किया कि फिंगर प्रिंट रिपोर्ट में आरोपी को शामिल नहीं किया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थियों के डी. एन. ए. नमूने जांच के दौरान एकत्र किए गए थे, जैसा कि आई. ओ., पी. डब्ल्यू. 18 द्वारा स्वीकार किया गया था और डी. एन. ए. विश्लेषण के लिए भेजे गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कभी नहीं।

अदालत को इस स्पष्ट कारण से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि इसने अपीलार्थियों को दोषमुक्त कर दिया होगा।

5.34 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कोई सार्वजनिक बाल, डीएनए, वीर्य या

अपीलार्थियों का खून किसी भी पीड़ित पर पाया गया था। अपीलार्थियों से नमूने एकत्र किए गए और विश्लेषण के लिए भेजे गए लेकिन परिणाम अपीलार्थियों को दोषी नहीं ठहराते। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस ने अपराध स्थल से 14 चप्पलें जब्त कीं, लेकिन अपीलार्थियों से उनका मिलान करके या उन्हें आरोपी बनाकर उन्हें उनसे जोड़ा नहीं जा सका। किसी ने भी उन चप्पलों की पहचान अपीलार्थियों द्वारा पहने जाने या अपीलार्थियों से संबंधित होने के रूप में नहीं की।

5.35 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से-अपीलकर्ता कि अपीलकर्ताओं से कपड़े जब्त किए गए थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, साथ ही साथ घर की तलाशी के दौरान घरों से भी, लेकिन अभियुक्त को उक्त अपराध से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिला। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अगली सुबह जब शव पाए गए तो घर के चारों ओर पैरों के निशान पाए गए थे, लेकिन उन उंगलियों के निशान अपीलार्थियों से मेल नहीं खाते थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

यहां तक कि सविता के नाखूनों में पाया गया खून भी अपीलार्थियों से जुड़ा नहीं था।

5.37 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील ने आगे कहा कि एक सफेद धातु की चेन कथित रूप से जब्त की गई थी 26.6.2003 पर A5 की माँ, भजुबाई अप्पा शिंदे के घर की खोज के दौरान। पंचनामे पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। इसके अलावा, पंचनामे में यह नहीं कहा गया है कि जब्त की गई संपत्ति को सील कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्रृंखला को "30 के साथ एक सफेद धातु श्रृंखला" के रूप में वर्णित किया गया है।

लिंक, बीच का लिंक टूट जाता है और एक स्ट्रिंग से बंधा होता है। मान 0 "। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चेन पर कोई विशेष निशान नहीं थे और यह बड़े पैमाने पर उत्पादित प्रकार का था जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यह पीडब्लू1 का है। पीडब्लू1 ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्होंने इसका कोई विवरण नहीं दिया था

5.38 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि चांदी की चेन के लिए टी. आई. पी. के संचालन के संबंध में किसी भी मजिस्ट्रेट/विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से पूछताछ नहीं की गई है। किसी भी गवाह की जांच नहीं की गई है जो उस समय मौजूद था जब पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा चेन की पहचान की गई थी। पीडब्लू14 वह पंच है जिसके सामने चेन वाला पैकेट खोला गया था और फिर उसी दिन फिर से सील किया गया था जिस दिन पीडब्लू1 ने दावा किया था कि उसने इसकी पहचान की थी, लेकिन पीडब्लू14 पहचान का गवाह नहीं है और वह इसके बारे में गवाही नहीं देता है। 5.39 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू8 श्रृंखला की पहचान नहीं करता है। यह नहीं है।

उसे उसके साक्ष्य के दौरान दिखाया गया। अदालत में, पीडब्लू8 ने कहा "मुद्दमल लेख संख्या। 72 और 40 सविता के आभूषण हैं। इन्क्वेस्ट पंचनामे में दिनांक 6.6.2003 (प्रदर्शनी 27) सविता के मृत शरीर, शव [2019] 4 एस. सी. आर. पर आयोजित किया गया।

किसी भी प्रकार का जो अपीलार्थी को अपराध से जोड़ता है और अभियोजन पक्ष पीडब्लू1 और पीडब्लू8 द्वारा पहचान की पुष्टि करने वाला कोई सबूत पेश करने में सक्षम नहीं है, केवल पहचान के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने इकबाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 623 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। 5.41 यह अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक अभियुक्त की दोषसिद्धि का संबंध है,

आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) का संबंध है, यह किसी सबूत पर आधारित नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीडब्लू8 के साक्ष्य के अनुसार, ए1, ए2 और ए4 ने मृतक सविता को झोपड़ी से बाहर निकाला और उसे नग्न और खून से लथपथ वापस लाया, जिस समय तक वह मर चुकी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांकित 27.11.2003 की CA रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के गुप्तांग के बाल, योनि या गर्भाशय के स्वाब में कोई वीर्य नहीं पाया गया था सविता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक सविता के नाखून के टुकड़ों में पाया गया रक्त उसके अपने रक्त समूह से मेल खाता है और यह साबित नहीं किया जा सका है कि रक्त समूह आरोपी का था।

5.42 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू 8 जिसकी गवाही पर अभियोजन पक्ष है आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा करना 25.7.2003 पर आयोजित टी. आई. पी. में ए2 की पहचान करने में विफल रहा और अदालत में पहली बार ए2 की पहचान की गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए2 की किसी भी पूर्व पहचान के अभाव में, पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा अदालत में पहचान के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत ए2 को दोषी ठहराना बेहद खतरनाक है।

5.43 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत अभियुक्तों को दोषी ठहराते समय, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की अपनी चोटों को समझाने में विफलता को उनके खिलाफ एक आपत्तिजनक परिस्थिति माना।

अंकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल चोटों की व्याख्या करने में अभियुक्त की विफलता नहीं हो सकती है

यदि चोटों की प्रकृति ऐसी है कि वे अन्य घटनाओं के कारण हो सकती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके निवेदन के समर्थन में, अभियुक्त के विद्वान वकील ने राम सुंदर सेन बनाम नरेंदर, (2016) 15 एस. सी. सी. 440 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

5.44 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

5.45 यह आगे अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू 24-डॉ। विलास अप्पासाहेब पाटिल की जांच की गई ए 1 और ए 2 ने कहा कि उन पर पाई गई चोटें संभव थीं यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का विरोध करने की कोशिश करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि प्रतिरोध के कारण चोटें संभव हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि चोटों को बलात्कार के दौरान निर्णायक रूप से माना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की चोटें वर्तमान आरोपी को सविता के बलात्कार से नहीं जोड़ती हैं।

5.46 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभियुक्त की ओर से कहा गया कि जाँच भी निष्पक्ष नहीं थी और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष भौतिक तथ्यों को दबा दिया। इसे प्रस्तुत किया जाता है। विद्वान वकील द्वारा कि सबसे पहले अभियोजन पक्ष ने दबा दिया कि पी. डब्ल्यू. 8 का बयान/मृत्यु घोषणा कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई थी और पी. डब्ल्यू. 8 को [2019] 4 एस. सी. आर. की तस्वीरें दिखाई गई थीं।

अपराध किया, न तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और न ही उन चार व्यक्तियों के संबंध में कोई आगे की जांच की गई, जिनकी पहचान पीडब्लू8 द्वारा की गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिन्होंने बाद में 25.7.2003 पर टीआई परेड का संचालन किया, ने भी अपने बयान में कुछ नहीं कहा। विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अभियोजन पक्ष निष्पक्ष जांच के संबंध में अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि यह देखना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वास्तविक अपराधी निर्दोष न हों और निर्दोष व्यक्तियों को दोषी न ठहराया जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने का दायित्व रखता है। इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि यह सुनिश्चित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि सभी भौतिक तथ्यों को अभिलेख पर लाया जाए ताकि न्याय की कोई चूक न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष से उम्मीद नहीं की जाती है कि वह मामले में शामिल सही तथ्यों की परवाह किए बिना किसी भी तरह से आरोपी की दोषसिद्धि में मामले तक पहुंचने के लिए प्यास दिखाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष का अपेक्षित रवैया न केवल अदालत के लिए, बल्कि अभियुक्त के लिए भी निष्पक्षता में होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष का भी यह कर्तव्य था कि वह इसे सामने लाए और आरोपी को ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध कराए जो आरोपी की मदद भी कर सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन/जांच अधिकारी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जानबूझकर उपरोक्त को रोक दिया/दबा दिया।

न्यायालय से भौतिक तथ्य। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अगर उन चार व्यक्तियों के संबंध में भी जांच की जाती

जिनकी पहचान पीडब्लू8 द्वारा की गई थी, उस स्थिति में परिणाम अलग होता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि तथ्य यह है कि पीडब्लू8 ने 7.6.2003 पर दर्ज कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में चार व्यक्तियों की पहचान की है जिन्होंने नामों के साथ अपराध किया था और वे अन्य थे

वर्तमान अभियुक्त की तुलना में, रिकॉर्ड पर आया होगा, उस मामले में, यह अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ गया होगा और विशेष रूप से पीडब्लू1 और पीडब्लू8 की ओर से मामला कि 7-8 व्यक्ति थे जो

अपराध को अंजाम दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उपरोक्त चार

लोग

यह जोड़ा जाता कि उस मामले में अभियुक्त की आयु 12 वर्ष से अधिक होती और इसलिए यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होता और इसलिए अभियोजन/जांच अधिकारी ने जानबूझकर और जानबूझकर उपरोक्त भौतिक तथ्य को दबा दिया था।

अंकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

5.47 विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में सभी आरोपी व्यक्ति खानाबदोश जनजातियों से संबंधित थे, और वास्तव में, उन्हें स्थानांतरण वारंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था और जबरन मामले में शामिल थे। मामला, वह भी एक महीने की अवधि के बाद और केवल यह दिखाने के लिए कि पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा स्थानांतरण वारंट के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था, जब न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 ने उन व्यक्तियों का कोई विवरण दिया, जिन्होंने

5.48 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्तों द्वारा की गई अपीलों को स्वीकार किया जाए और उन्हें उन अपराधों के लिए बरी किया जाए जिनके लिए वे दोषी ठहराए गए हैं। 5.49 अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान वकील श्री (डॉ.) युग मोहित चौधरी ने आगे कहा है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए

6. अभियुक्त द्वारा की गई इन सभी अपीलों का महाराष्ट्र राज्य के विद्वान स्थायी वकील श्री निशांत कटनेश्वरकर ने जोरदार विरोध किया है। 6.1 महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में समवर्ती हैं

विद्वान सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में उन्हें आई. पी. सी. की धारा 395,302 के साथ 34, धारा 376 (2) (जी), धारा 307 के साथ 4 एस. सी. आर. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।

6.2 महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में अभियोजन सफल रहा है। मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह से ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामले को साबित करने में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पीडब्लू1 और पीडब्लू8 दोनों जो चश्मदीद गवाह हैं और जो

घटना के समय उपस्थित लोगों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।

6.3 महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है।

पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा टी. आई. पी. में/न्यायालय के समक्ष। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वान सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8-घायल चश्मदीद गवाहों के बयान पर भरोसा करते हुए आरोपी को सही ठहराया है।

6.4 अब जहां तक चूक/सुधार/विरोधाभासों के संबंध में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत करने का संबंध है, यह है -

प्रस्तुत किया कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है कि इस तरह की चूक/सुधार/विरोधाभास मामूली हैं और समग्र रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हैं। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के बयान की सराहना करते हुए इस तरह के मामूली विरोधाभासों/चूक/सुधारों को सही ढंग से नजरअंदाज किया है।

6.5 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

राज्य की ओर से कि जहां तक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा आई. डी. 1 पर पी. डब्ल्यू. 8 का बयान दर्ज करने के तथ्य का खुलासा न करने और तस्वीरों से चार व्यक्तियों की पहचान करने का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से उक्त चूक अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी क्योंकि पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 ने विशेष रूप से टी. आई. पी. और/या अदालत के समक्ष सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

केवल इसलिए कि पीडब्लू8 द्वारा पहचाने गए कुछ अन्य चार व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया होगा और/या उनके बारे में आगे कोई जांच नहीं हुई होगी, उक्त लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है।

वर्तमान मामले में सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान पीडब्लू1 और पीडब्लू8 द्वारा की गई थी।

6.6 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

राज्य की ओर से यह कि वर्तमान मामले में घटना स्थल से चोरी की गई वस्तुओं में से एक अभियुक्त के घर से मिली थी और इसलिए उस हद तक वसूली की गई थी और इसलिए केवल इसलिए कि लूटी गई अन्य वस्तुएं नहीं मिली थीं, एक वस्तु की बरामदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

6.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ आरोपी भी धारा के तहत अपने बयान में अपने शरीर पर पाई गई चोटों को समझाने में विफल रहे

313 संहिता और इसलिए उनके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया है और उन्हें सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

6.8 राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष भी यह साबित करने में सफल रहा है कि सविता के साथ बलात्कार किया गया था और यह चिकित्सा साक्ष्य छोड़कर स्थापित और साबित होता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि बलात्कार का तथ्य

5 व्यक्तियों और दो महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया, उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखने की आवश्यकता है और सभी अभियुक्तों को मौत की सजा की आवश्यकता है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्त द्वारा की गई अपीलों को खारिज किया जाए और राज्य द्वारा की गई अपीलों को स्वीकार किया जाए और जहां तक अभियुक्तों की संख्या है, मौत की सजा को बहाल किया जाए। 3 , 5 & 6 वे चिंतित हैं। 7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को बहुत विस्तार से सुना है।

7.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान अपीलों में, संबंधित अभियुक्तों पर दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे

आई. पी. सी. की धारा 395,302 के साथ 34, धारा 376 (2) (जी), आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ धारा 307, आई. पी. सी. की धारा 396,397 और 398 के तहत पढ़ा जाता है। विद्वान सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 34 के साथ पठित धारा 395,302, धारा 376 (2) (जी), धारा 34 के साथ पठित धारा 307, धारा 395 के साथ पठित धारा 396,397 और आईपीसी की धारा 398 के तहत दोषी ठहराया। अन्य सजाओं के अलावा, सभी आरोपी [2019] 4 एस. सी. आर.

विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। उच्च न्यायालय ने जहां तक ए 1, ए 2 और ए 4 का संबंध है, विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और यहां तक कि मृत्युदंड की भी पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ए 3, ए 5 और ए 6 को बरी कर दिया और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

8. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्तों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य दोनों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। द.

अभियुक्त इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दे रहे हैं, और महाराष्ट्र राज्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित है जहाँ तक कि मूल अभियुक्तों को बरी करने का संबंध है। अपराधों के लिए ए 3, ए 5 और ए 6 आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत और मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना।

9. हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के साथ-साथ विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अध्ययन किया है और गहराई से देखा है। हम गुजर चुके हैं

और मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह से अभिलेख पर साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया।

9.1 जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, घटना 10 के बाद हुईः 30 रात में पी. एम. पीड़ित अमरूद के बगीचे में बोरे से बनी झोपड़ी में रह रहे थे। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी ने हत्या, डकैती के साथ-साथ सविता और पीडब्लू 8-विमलबाई नाम की एक महिला के साथ बलात्कार किया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी ने ट्रामबक की पत्नी और बेटी से गहने छीन लिए और उससे 3,000/- रुपये भी ले लिए। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, ए 2 ने सविता के साथ बलात्कार किया और उसे झोपड़ी के बाहर ले गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, एक ट्रामबक अपने परिवार (पत्नी, तीन बेटे और एक बेटी) के साथ अमरूद के बगीचे में झोपड़ी में रह रहा था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ट्रामबक, उनकी बेटी सविता, उनके भतीजे भरत, उनके बेटे संदीप और भूर्या की मौत हो गई। पीडब्लू1 और पीडब्लू8-बेटा मनोज और ट्रामबक की पत्नी विमलबाई बच गए। इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीडब्लू1 और पीडब्लू8 पूरी घटना के चश्मदीद गवाह थे। इसलिए, इस प्रकार, अंकुश मारुति शिंदे v.

मामला इन दो चश्मदीद गवाहों पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के बयान पर आधारित है।

और उन्होंने या तो टी. आई. परेड में और/या अदालत के समक्ष अभियुक्तों की पहचान की। अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में पूरी तरह से पहचान के साक्ष्य पर भरोसा किया है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हालांकि आरोप बलात्कार और हत्या का है, लेकिन अभियोजन मामले की पुष्टि करने वाला कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी ने ट्रामबक की पत्नी और बेटी से गहने छीन लिए और ट्रामबक से 3,000/- रुपये ले लिए, लेकिन एक के अलावा कोई बरामदगी नहीं हुई है।

टूटी हुई सफेद धातु की चेन, जिसे कथित तौर पर 26.06.2003 पर A5 की मां भोजुबाई अप्पा शिंदे के घर की तलाशी के दौरान जब्त किया गया था। द. उपरोक्त पर नीचे विस्तार से चर्चा की जाएगी।

9.2 जैसा कि ऊपर देखा गया है, मामला पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के बयान पर आधारित है और उन्होंने टीआई परेड के साथ-साथ अभियुक्तों की पहचान की। न्यायालय के समक्ष। पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के साक्ष्य के अलावा, आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए जिसमें पांच लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और

एक के साथ बलात्कार भी किया गया था, और दोषी ठहराए गए लोगों के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यह आवश्यक है कि साक्ष्य बहुत उच्च गुणवत्ता का हो और सबूत के उच्च बोझ को संतुष्ट करे। इसलिए, हमने सूक्ष्मता से देखा है और पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के निक्षेपण पर विचार किया है।

हमने अन्य गवाहों के बयान पर भी बारीकी से विचार किया है, विशेष रूप से पीडब्लू 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट-रमेश सोनावने, पीडब्लू 12-विष्णु हागवाने, मकान मालिक के भतीजे, जो मौके पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और जांच अधिकारी, पीडब्लू 18-एसीपी भास्करराव धुस के बयान पर।

9.3 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, जिसे विद्वान सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी माना है, पीडब्लू1 और पीडब्लू8

टी. आई. परेड के साथ-साथ अदालत के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की गई। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पीडब्लू8 ने अदालत में ए 2 की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की थी जो सविता को झोपड़ी के बाहर ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था। हालाँकि, वह टी. आई. परेड में उसकी पहचान नहीं कर सकी। पहली टीआई परेड 25.07.2003 पर आयोजित की गई थी। अपराध 5.6.2003 पर हुआ; अभियुक्त संख्या। 1 5 को 23 और 27 जून, 2003 को गिरफ्तार किया गया था।

और टी. आई. परेड 25.07.2003, यानी अपराध की तारीख से 50 दिन और ए 1 और ए 2 की गिरफ्तारी के 33 दिन बाद आयोजित की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त व्यक्तियों को स्थानांतरण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था।

चश्मदीद गवाहों में से, यानी पीडब्लू1 और पीडब्लू8 अभियुक्त का कोई भी विवरण/विवरण देने में सक्षम थे। यहां तक कि ए 6 को एक साल से अधिक समय के बाद गिरफ्तार किया गया था, और ए 6 के लिए टीआई परेड एक साल से अधिक समय बाद आयोजित की गई थी। टीआई परेड के संचालन में देरी के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसलिए, अभियुक्त की पहचान

पीडब्लू1 और पीडब्लू8 द्वारा, जो अभियुक्त को दोषी ठहराने और मृत्युदंड देने का एकमात्र आधार है, बहुत बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है। 9.4 इस बात पर बहुत गंभीर संदेह है कि घटना के समय झोपड़ी में पर्याप्त रोशनी थी या नहीं। यहां तक कि पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के अनुसार,

दोषियों ने मशालों का इस्तेमाल किया था। घटना सुबह 10 बजे की थी। 30 पी. एम झोपड़ी बारूद के थैलों से बनी थी और इसकी दीवारें तनों और पौधों से बनी थीं। झोपड़ी में जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं था। पंचनामे में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि शेड (झोपड़ी) में रोशनी थी या नहीं। हालांकि, पीडब्लू1 ने कहा है कि बिजली की बत्ती चालू थी, वह यह भी कहता है कि अपराधी बैटरी टॉर्च का उपयोग कर रहे थे और टॉर्च की रोशनी में खोज कर रहे थे। उसके अनुसार, उसने पुलिस को बताया कि दोषियों ने रोशनी बंद कर दी थी जब उन्होंने पीड़ितों पर हमला करना शुरू कर दिया था। भले ही यह माना जाता है कि शुरू में कुछ रोशनी थी, और अभियोजन पक्ष के मामले में यह माना जाता है कि घटना के दौरान बल्ब को बंद करने से पहले कुछ मिनटों के लिए जल रहा था, बाकी घटना दोषियों द्वारा ले जाए गए टॉर्च लाइट के नीचे हुई थी। इन परिस्थितियों में, न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 अपराध करने वाले व्यक्तियों पर उचित नज़र रखने में सक्षम होते। इसे युग्मित माना जाना आवश्यक है।

इस तथ्य के साथ कि न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 पुलिस को अभियुक्त या उनके द्वारा पहने गए कपड़ों का वर्णन करने में सक्षम थे। कोई पहचान करने वाली विशेषताएँ नहीं दी गई थीं। मुकदमे में, अभियुक्तों से जब्त किए गए कपड़ों की पहचान पीडब्लू1 या पीडब्लू8 द्वारा नहीं की गई थी। यहां तक कि अभियुक्तों में से एक की आयु 17 वर्ष और दो अन्य अभियुक्तों की आयु लगभग 20 वर्ष थी, पीडब्लू1 और पीडब्लू8 ने पुलिस को बताया कि दोषियों की आयु 25-30 वर्ष थी। न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 दोषियों को विशिष्ट भूमिकाएँ देने में सक्षम थे। यहां तक कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के दौरान पीडब्लू1 और पीडब्लू8 बेहोश हो गए थे। इसलिए, उक्त गवाह देखने और याद रखने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं थे और इसलिए न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 ने जांच के दौरान पुलिस को दोषियों के विवरण-ऊंचाई, बाल, चेहरे की विशेषताओं, रंग, दाढ़ी आदि के बारे में विवरण दिया। यहां तक कि घटना के बारे में पीडब्लू8 का पूरा साक्ष्य और विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिका भी एक चूक/सुधार है। पी. डब्ल्यू. 8 में जो कुछ भी कहा गया है

उनके बयान में पहली बार यही कहा गया है, जिसे अंकुश मारुति शिंदे बनाम।

9.5 टीआई परेड में पीडब्लू1 द्वारा अभियुक्त की पहचान भी इस तथ्य के अलावा एक गंभीर संदेह पैदा करती है कि इसमें देरी हुई थी टी. आई. परेड के संचालन में, और यह कि टी. आई. परेड को देर से आयोजित करने में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, और ऊपर बताए गए कारणों से, यह बहुत संदिग्ध है कि क्या पीडब्लू1 और पीडब्लू8 अभियुक्त को ठीक से देख सकते थे। जैसा कि देखा गया है।

ऊपर, उक्त दो गवाहों द्वारा अभियुक्त का कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया गया था। कुछ अभियुक्तों की उम्र के संबंध में विरोधाभास हैं। पीडब्लू1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषियों ने उससे हिंदी में बात की थी। उनके अनुसार, वे आपस में हिंदी में भी बात कर रहे थे। पीडब्लू8 ने भी पुष्टि की है कि

एक ही। सभी पीड़ित मराठी बोलने वाले हैं। आरोपी भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मराठी बोलने वाले हैं। इसलिए, अगर आरोपी पीड़ितों से बात करते, तो वे मराठी में बोलते, न कि हिंदी में। इसलिए, इस बात की संभावना है कि जो अपराधी हिंदी बोल रहे थे, वे मराठी भाषी नहीं थे और वे बाहरी-गैर-मराठी हो सकते हैं।

9.6 जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, न तो पीडब्लू1 और न ही पीडब्लू8 ने कोई जानकारी दी है।

आई. ओ. और/या उप-मंडल मजिस्ट्रेट को विवरण जिन्होंने टी. आई. परेड का संचालन किया। इसलिए, अन्य नकली व्यक्तियों को किस आधार पर लाया गया था और वे टीआई परेड में मौजूद थे, यह अभियोजन पक्ष की ओर से सामने नहीं आया है। यह भी कोई बयान नहीं है कि डमीज़ अभियुक्त व्यक्तियों से मिलता-जुलता था। हालाँकि, टी. आई. परेड का संचालन करने वाले विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को डमी व्यक्तियों, [2019] 4 एस. सी. आर. का चयन करना आवश्यक है।

वर्तमान मामले में और यहां तक कि पीडब्लू 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किया गया कि नकली व्यक्तियों का चयन पुलिस द्वारा किया गया था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि टीआई परेड और/या अदालत के समक्ष पीडब्लू1 और पीडब्लू8 द्वारा उनकी पहचान के आधार पर ही अभियुक्त को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।

9.7 जैसा कि ऊपर देखा गया है, पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के बयान को छोड़कर और उन्होंने टीआई परेड में और/या अदालत के समक्ष अभियुक्त की पहचान की (जो ऊपर बताए गए कारणों से, दोषसिद्धि ऐसी पहचान पर आधारित नहीं हो सकती), कोई अन्य सबूत नहीं है, या तो वैज्ञानिक

और/या अन्य, अभियोजन मामले की पुष्टि करते हुए। अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करने वाला कोई फोरेंसिक सबूत नहीं है। वास्तव में, डीएनए, फिंगर प्रिंट साक्ष्य और सीए साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं, और/या आरोपी को अपराध से नहीं जोड़ते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी के पास मौके पर शराब की बोतलों और एक हांडी से कुछ शराब थी। अपराध स्थल से शराब की खाली बोतलें, एक हांडी और कुछ गिलास जब्त किए गए। आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए कांच और शराब की बोतलों पर कोई डीएनए या उंगली के निशान नहीं हैं। वास्तव में, पीडब्लू20-आईओ ने स्वीकार किया है कि फिंगर प्रिंट रिपोर्ट में निहित नहीं था

अभियुक्त। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जांच के दौरान अभियुक्तों के डी. एन. ए. नमूने एकत्र किए गए थे और वास्तव में डी. एन. ए. विश्लेषण के लिए भेजे गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कभी भी अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। पीड़ितों में से किसी पर भी अभियुक्त के गुप्तांग के बाल, डीएनए, वीर्य या खून नहीं पाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों से नमूने एकत्र किए गए थे और उन्हें विश्लेषण के लिए भेजा गया था, लेकिन परिणाम ने अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया।

9.8 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, ट्रामबक से 3,000/- रुपये नकद लिए गए, एक मंगलसूत्र, डोर्ली और ईयरटॉप लिए गए

पीडब्लू8 से; सविता से पायल और ईयरटॉप ले लिए गए थे; और दोषियों द्वारा पीडब्लू1 से एक घड़ी और चेन ले ली गई थी। हालाँकि, ए 5 की माँ के घर की तलाशी के दौरान 26.06.2003 पर जब्त की गई एक टूटी हुई सफेद धातु की चेन को छोड़कर किसी भी आरोपी से कोई चोरी की संपत्ति नहीं मिली है या बरामद नहीं हुई है। हालाँकि, पंचनामे पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। पंचनामे में यह भी नहीं कहा गया है कि जब्त की गई संपत्ति को सील कर दिया गया था। चेन को "30 लिंक वाली एक सफेद धातु की चेन के रूप में वर्णित किया गया था, बीच की कड़ी को तोड़ दिया जाता है और एक तार से बांध दिया जाता है। उसी का मान शून्य बताया गया था। चेन पर कोई विशेष निशान नहीं थे और यह स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। यद्यपि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उक्त श्रृंखला पीडब्लू1 की है, पीडब्लू1 ने स्वीकार किया था कि उसके पास अंकुश मारुति शिंदे बनाम नहीं है।

पुलिस को चेन का कोई भी विवरण दिया। इस चेन को छोड़कर, किसी भी आरोपी से कुछ भी जब्त या बरामद नहीं किया गया था। इसलिए, बिना किसी विशिष्ट निशान के आम तौर पर उपलब्ध सफेद धातु की चांदी की चेन को जब्त करना आरोपी को दोषी ठहराने के लिए सबूत का एक कमजोर टुकड़ा होगा।

9.9 उपरोक्त के अलावा, पीडब्लू8 के पूरे बयान पर विचार करने पर, हमारी राय है कि पीडब्लू8 जो एक चश्मदीद गवाह होने का दावा करती है, वह एक विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाह नहीं है। अदालत में उनकी पूरी गवाही भौतिक चूक/विरोधाभासों/सुधारों से भरी हुई है। अदालत में उसके बयान से पहले, उसके दो बयान दिनांकित 6.6.2003 और 7.6.2003 क्रमशः पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए थे। अदालत में पीडब्लू8 द्वारा दी गई घटना का पूरा विवरण उनके द्वारा अपने पहले के बयानों में नहीं दिया गया है। यह सबूत पहली बार सुधार के माध्यम से अदालत में बयान के दौरान आया है। अपने पहले के बयानों में, पीडब्लू8 ने कभी भी हमले या घटना के दौरान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का कोई विवरण नहीं दिया है। टी. आई. परेड में भी, उन्होंने उन व्यक्तियों को किसी भी भूमिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जिनकी उन्होंने पहचान की थी। पहली बार पीडब्लू8 ने घटना के बारे में कोई विवरण दिया या कहा

9.10 एक और कारण है कि पीडब्लू8 पर इस आधार पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए कि वह अविश्वसनीय है और भरोसेमंद नहीं है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 7.6.2003 पर, अर्थात, घटना के दो दिन बाद, उनका बयान पीडब्लू 13 द्वारा दर्ज किया गया था-रमेश सोनावने-विशेष कार्यकारी अस्पताल में मजिस्ट्रेट। पी. डब्ल्यू. 13 को जाँच अधिकारी द्वारा उसकी मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। यह रिकॉर्ड में आया है कि उनकी मृत्यु [2019] 4 एस. सी. आर.

घोषणा/बयान 7.6.2003 पर दर्ज किया गया था, यानी, घटना के दो दिन बाद, PW8 ने एल्बम से चार लोगों की तस्वीरों की पहचान की

कुख्यात अपराधी जिन्होंने अपराध किया है। मान लीजिए, वर्तमान अभियुक्त उन चार व्यक्तियों में से नहीं हैं जिनकी पहचान

फोटो एल्बम से पीडब्लू8। यह ध्यान देने योग्य है कि अपने बयान में उसने पी. डब्ल्यू. 13 द्वारा 7.6.2003 पर दर्ज किए गए अपने बयान के बारे में कुछ नहीं कहा था और उसने उसे दिखाए गए कुख्यात अपराधियों के एल्बम से चार लोगों की तस्वीरों की पहचान की थी। इसलिए, उस हद तक, पीडब्लू8 द्वारा भौतिक तथ्य का दमन भी किया जाता है। वास्तव में, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त को रोक दिया गया था। केवल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई के दौरान, यह प्रकाश में आया और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में उन्हें वापस बुला लिया गया और जब उनका उपरोक्त के साथ सामना किया गया, तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से, उन्होंने कहा कि जिन चार व्यक्तियों की पहचान उनके द्वारा की गई थी, वे वर्तमान अभियुक्तों में से एक ही व्यक्ति थे। हालांकि, इस तरह का रुख पी. डब्ल्यू. 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बयान के बिल्कुल विपरीत है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार जब उन्हें वापस बुलाया गया था, तब उन्होंने अपने बयान में जो कहा था, उसकी पुष्टि अन्य सबूतों से नहीं होती है। इसके विपरीत, पी. डब्ल्यू. 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अपने आगे के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा हैः

" यह सच है कि मुझे अपराध शाखा के पी. आई. द्वारा 7.6.03 पर बुलाया गया था

सिविल अस्पताल नासिक मृत्यु की घोषणा दर्ज करेगा विमलबाई ट्राम्बक सातोटे। के अनुसार, मैं सिविल अस्पताल गया हूँ

नासिक। सिविल अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने पी. आई. क्राइम ब्रांच का पत्र लिया था। मेरे पास उस पत्र की ज़ेरॉक्स प्रति है।

आज मैं उसी का निर्माण कर रहा हूँ। पुलिस ने मुझे फाइल संख्या दी थी। 70 , 76 , 80 और मुझसे यह देखने का अनुरोध किया गया कि क्या वह महिला उस फाइल से आरोपी की पहचान कर सकती है। मुझे वे फाइलें उसी ने दी थीं

वह व्यक्ति जिसने मुझे पत्र दिया था। मैंने उस महिला से पूछा था कि क्या वह आरोपी की पहचान कर सकती थी, अगर उसे तस्वीरें दिखाई दें और उसने कहा कि वह पहचान कर सकती है। इसलिए, मैंने उसे तीनों फाइलों की तस्वीरें दिखाई थीं। उसने 4 लोगों की पहचान आरोपी के रूप में की थी। गवाह स्वयंसेवकों कि उस पर

समय के साथ, यह मेरे ध्यान में आया कि महिला बहुत डरी हुई थी। चारों तस्वीरें फाइल No.80 से थीं। नाम थे।

उन चारों तस्वीरों के नीचे लिखा गया है। वे 1 हैं। गौतम हरि काले, निवासी जपवाड़ी शिव, टीक्यू नवासा, जिला। अहमदनगर, 2.

अंकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

शिवाजी @शिवल्या भोसले निवासी तरवंद मुक्तापुर शिवार, टीक्यू नेवासा, जिला-अहमदनगर 3. खंड्या राम चव्हाण निवासी भेंडला शिवार, टी. क्यू. गंगापुर, जिला। औरंगाबाद, 4. सुरेश सीताराम काले, निवासी कासरकाडा, कारखाना शिवार, टीक्यू आष्टी, जिला। बीड। ये लोग उसके घर में घुस आए थे और उसने अपराध किया था।

उस महिला के बयान में कहा गया है कि महिला की डॉ. युवराज पवार से जांच कराई गई थी, कि वह बयान देने के लिए सचेत थी। बयान दर्ज होने के बाद उस महिला को पढ़कर सुनाया गया। उसे यह बात समझ में आई। मैंने पूछा था कि क्या उक्त कथन उनके कथन के अनुसार था। उन्होंने हां में जवाब दिया था। मैंने उक्त बयान पर उसके अंगूठे का निशान प्राप्त किया था। मैंने खुद उसके अंगूठे का निशान प्राप्त किया था। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद
उस महिला के बयान के बारे में, उसकी फिर से चिकित्सा अधिकारी से जांच की गई थी, कि वह बयान देने की स्थिति में थी। चिकित्सा अधिकारी ने मेरी उपस्थिति में दोनों प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर किए थे।

मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि महिला डर गई थी (एल. डी. ए. पी. पी. ने वह आपत्ति ली है जो गवाह ने स्वेच्छा से उठाई थी। बयान दिया कि महिला डरी हुई थी; इसलिए, इस तरह का सवाल प्रतिपरीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है)। मैंने अपने नोटों में ऐसा नहीं लिखा था। यह कहना सही नहीं है कि देने के लिए अदालत में आने से पहले मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया था कि महिला डर गई थी

सबूत "।

9.11 इस प्रकार, पीडब्लू8 का बयान विरोधाभासों/चूक और सुधारों से भरा है और उसने सही और सही तथ्य नहीं बताए हैं।

इसलिए, वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। जब बचाव पक्ष द्वारा उपरोक्त बात उच्च न्यायालय को बताई गई थी, तो दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष के मामले को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि पीडब्लू 13 द्वारा दर्ज पीडब्लू 8 का बयान-विशेष कार्यकारी

7.6.2003 पर दर्ज मजिस्ट्रेट को मृत्यु घोषणा नहीं कहा जा सकता है और इसे केवल एक बयान कहा जा सकता है जिसका उपयोग केवल पुष्टि और विरोधाभास के लिए किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार भी

इसके अलावा, पीडब्लू 13 द्वारा दर्ज किया गया उसका 7.6.2003 दिनांकित बयान जिसमें उसने नामों के साथ कुल 4 अन्य व्यक्तियों की पहचान की थी, का उपयोग विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, विरोधाभास ये भौतिक विरोधाभास हैं और इस तरह उन्होंने न्यायालय से भौतिक तथ्य को भी दबा दिया है।

9.12 अन्यथा भी, इसके बाद बताए गए कारणों से, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसी द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं की गई थी /

अभियोजन। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय से सामग्री तथ्य को दबा दिया है। न तो जांच अधिकारी और न ही पीडब्लू 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने शुरू में 7.6.2003 पर पीडब्लू8 के बयान दर्ज करने के बारे में कुछ कहा और उसने कुख्यात अपराधियों की तस्वीरों के एल्बम से चार व्यक्तियों की पहचान की। वास्तव में, यह उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया, और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पीडब्लू8 और पीडब्लू13 को वापस ले लिया गया। रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि क्या उन चार व्यक्तियों को, जिनकी पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा 7.6.2003 पर की गई थी, कभी गिरफ्तार किया गया था और/या उनके खिलाफ कोई जांच की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि पीडब्लू8 ने घटना के तुरंत बाद उन चार व्यक्तियों की पहचान की। वर्तमान मामले में कोई भी आरोपी वे नहीं हैं जिनकी पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष 7.6.2003 पर की गई थी। इसलिए, जब पीडब्लू8 ने 7.6.2003 पर अपराध करने वाले चार व्यक्तियों की पहचान की, तो उनकी स्मृति ताजा थी और इसे लंबे समय तक विलंब के बाद आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि जाँच निष्पक्ष नहीं थी और वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत से भौतिक तथ्य का दमन किया गया था।

10. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निष्पक्ष और सच्ची जांच अनिवार्य है। यह विवेकपूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई

नागरिकों का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, कि अपराधों की जांच इसके प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। कि जाँच का उद्देश्य अंततः सच्चाई की खोज करना और अपराधी को कानून के दायरे में लाना है। 10.1 यह सुनिश्चित करने के अलावा कि अपराधों को दंडित नहीं किया जाता है, यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करे और

यह भी सुनिश्चित करना कि सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को सत्य के न्यायसंगत निर्धारण के लिए न्यायालय के ध्यान में लाया जाए ताकि उचित न्याय कायम रहे। यह सुनिश्चित करना जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जांच निष्पक्ष हो और कानून के अनुसार के अलावा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट न करे। स्थापित लोगों में से एक

न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच के पहलू एक अभियुक्त का ऐसे सभी दस्तावेजों की माँग करने का अधिकार है जो वह Cr.PC द्वारा परिकल्पित योजना के तहत पाने का हकदार हो सकता है।

अंकुश मारुति शिंदे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

10.2 कानून द्वारा ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं है जो सच्चाई के विपरीत हो। भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में, अभियुक्त को कुछ हद तक

दुनिया के कुछ देशों के विभिन्न न्यायशास्त्रों की तुलना में लाभप्रद स्थिति। आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली में

भारत मानवाधिकारों और मानवाधिकारों की गरिमा को बहुत उच्च स्तर पर रखता है और आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। कथित अभियुक्त निष्पक्ष और सच्ची जाँच और निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है और अभियोजन पक्ष से अपराध के मुकदमे में संतुलित भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। कानून के मूल नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिए। ये हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत हैं और वे अनुच्छेद 20 में निहित संवैधानिक जनादेश के अनुरूप हैं।

और भारत के संविधान का 21.

10.3 जैसा कि इस न्यायालय ने वी. के. शशिकल बनाम के मामले में कहा था। राज्य का प्रतिनिधित्व अधीक्षक (2012) 9 एस. सी. सी. 771 द्वारा किया जाता है, हालांकि यह है

केवल ऐसी रिपोर्टें जो अभियोजन मामले का समर्थन करती हैं जिन्हें धारा 173 (5) के तहत अदालत को अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है, हर उस स्थिति में जहां जब्त किए गए कुछ कागजात और दस्तावेज अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करते हैं और इसके विपरीत, अभियुक्त का समर्थन करते हैं, जांच अधिकारी पर संग्रहित दस्तावेजों और सामग्रियों के दो सेटों का मूल्यांकन करने और यदि आवश्यक हो, तो उस स्तर पर ही अभियुक्त को दोषमुक्त करने का कर्तव्य डाला जाता है।

10.4 यहाँ तक कि ऐसे मामले में भी जहाँ लोक अभियोजक ने जाँच नहीं की थी

गवाह जिन्होंने अभियुक्त का समर्थन किया होगा, यह न्यायालय दर्य सिंह बनाम के मामले में। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 328 ने कहा है कि

कि अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और कभी भी न्यायालय से पीछे हटने का साधन केवल इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ जाने की संभावना है। यह आगे देखा गया है कि यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह उचित निर्णय तक पहुँचने में अदालत की सहायता करे।

मुकदमे के लिए उसके समक्ष लाए गए मामले के संबंध में निष्कर्ष। यह आगे देखा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजक उन गवाहों से पूछताछ नहीं कर सकता है जिन्होंने, उसकी राय में, घटना को नहीं देखा है, लेकिन आम तौर पर उसे अपने मामले के समर्थन में सभी चश्मदीद गवाहों से पूछताछ करनी चाहिए थी।

यह आगे देखा गया है कि यह हो सकता है कि यदि बड़ी संख्या में लोगों ने इस घटना को देखा हो, तो अभियोजक के लिए यह खुला रहेगा कि वह उन गवाहों का चयन, लेकिन चयन निष्पक्ष और ईमानदारी से किया जाना चाहिए न कि [2019] 4 एस. सी. आर. से असुविधाजनक गवाहों को दबाने की दृष्टि से।

गवाह बॉक्स। यह भी कहा गया है कि यदि मुकदमे में यह दिखाया जाता है कि घटना के गवाह व्यक्तियों को जानबूझकर वापस रखा गया है, तो न्यायालय अभियुक्त के खिलाफ निष्कर्ष निकाल सकता है और एक उचित मामले में, अभियोजन पक्ष की विफलता को दर्ज कर सकता है।

10.5 हत्या और बलात्कार वास्तव में एक निंदनीय कार्य है और प्रत्येक अपराधी को शीघ्रता से, कठोरता से और सख्ती से दंडित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यह केवल तभी संभव है जब अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया गया हो।

10.6 अभियोजन/जाँच एजेंसी से कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है

अभियुक्त के साथ-साथ न्यायालयों से कुछ भी छिपाए बिना एक ईमानदार और निष्पक्ष तरीका, जो अभियोजन पक्ष के खिलाफ जा सकता है। उनका अंतिम उद्देश्य हुक या धोखे से दोषसिद्धि प्राप्त करना नहीं होना चाहिए।

11. उपरोक्त सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारी राय है कि कोई निष्पक्ष और ईमानदार जांच नहीं हुई और अभियोजन पक्ष ने भी अदालत से भौतिक तथ्य को दबाने की कोशिश की। वर्तमान मामले में, जांच अधिकारी, पीडब्लू 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट और यहां तक कि पीडब्लू 8-घायल चश्मदीद गवाह ने अदालत से पीडब्लू 8 के बयान के भौतिक तथ्य को दबा दिया, जो पीडब्लू 13-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उसने विशेष रूप से चार व्यक्तियों की पहचान की थी जिन्होंने कुख्यात अपराधियों की तस्वीरों के एल्बम से अपराध किया है। इस प्रकार, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक स्वतंत्र गवाह होने के नाते अदालत के समक्ष सही तथ्यों को बताना था। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पीडब्लू 13-रमेश सोनावने-विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट वही विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने बाद में टीआई परेड का संचालन किया।

11.1 यहां तक कि अदालत से उपरोक्त तथ्य को दबाने में जांच अधिकारी की ओर से आचरण भी आवश्यक है

निंदा की। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर अदालत से उपरोक्त तथ्य को छिपा दिया था।

पीडब्लू1 और पीडब्लू8 के अनुसार, 7 से 8 व्यक्तियों ने अपराध किया था। हालांकि, पी. डब्ल्यू. 12-मकान मालिक के भतीजे विष्णु हागवाने-मौके पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि पी. डब्ल्यू. 1 ने उन्हें बताया कि चार व्यक्ति हमलावर थे और उन्होंने अपराध किया। जो भी हो, पी. डब्ल्यू. 1 और पी. डब्ल्यू. 8 के अनुसार और यहां तक कि अंकुश मारुति शिंदे वी. के अनुसार भी।

महाराष्ट्र राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

अभियोजन पक्ष, 7-8 व्यक्ति थे जिन्होंने अपराध किया था। पीडब्लू8

कुख्यात अपराधियों की तस्वीरों के एल्बम से 7.6.2003 पर चार व्यक्तियों की पहचान की गई जिनके नाम विशेष रूप से नोट किए गए थे

पीडब्लू8 का कथन। वर्तमान मामले में कोई भी आरोपी उन चार व्यक्तियों में से नहीं है जिनकी पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा 7.6.2003 पर की गई है। इसलिए, यदि उन चार व्यक्तियों को वर्तमान मामले में पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा अभियुक्तों के अलावा अन्य के रूप में पहचाना गया था, तो यह कहा जा सकता है कि 12 व्यक्ति/हमलावर थे जिन्होंने अपराध किया था और इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला कि 7-8 व्यक्ति थे, विफल हो जाएगा और यही कारण है कि उपरोक्त तथ्य जांच अधिकारी द्वारा नहीं कहा गया है और उसे जानबूझकर और जानबूझकर दबा दिया गया था। यहाँ तक कि जाँच भी निष्पक्ष और ईमानदार जाँच नहीं लगती है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा 7.6.2003 पर दर्ज किए गए पीडब्लू8 के बयान से जिसमें उसने कुख्यात अपराधियों की तस्वीरों के एल्बम से चार नामित व्यक्तियों की पहचान की थी, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है कि उन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था या नहीं या उन चार व्यक्तियों के संबंध में कोई आगे की जांच की गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में कोई भी आरोपी उन चार व्यक्तियों में से नहीं है जिनकी पहचान पीडब्लू8 द्वारा 7.6.2003 पर, यानी घटना के तुरंत बाद की गई थी। जाँच अधिकारी को उस दिशा में जाँच करनी चाहिए थी और उन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहिए था और उन चार व्यक्तियों के खिलाफ जाँच करनी चाहिए थी। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में अभियुक्तों को डेढ़ महीने की अवधि के बाद और वह भी स्थानांतरण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था, हालांकि पीडब्लू1 या पीडब्लू8 द्वारा अभियुक्त का कोई विवरण नहीं दिया गया था। ए 6 को डेढ़ साल की अवधि के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी आरोपी व्यक्ति समाज के निचले स्तर से आने वाली खानाबदोश जनजातियां हैं और बहुत गरीब मजदूर हैं।

इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, गलत निहितार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह आम घटना है कि गंभीर अपराधों में कभी-कभी निर्दोष व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा 7.6.2003 पर जिन चार व्यक्तियों की पहचान की गई थी, उन्हें न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही उनके खिलाफ कोई जांच की गई थी, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए जांच एजेंसी की ओर से गंभीर चूक हुई है, जिससे मेला प्रभावित हुआ है

जांच और निष्पक्ष सुनवाई, और इसलिए, हमारी राय है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, हमारे पास अभियुक्तों को उन अपराधों के लिए बरी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है जिनके लिए वे दोषी ठहराए गए हैं।

13. साथ ही, हम इस तथ्य को भी नहीं भूल सकते कि पाँच व्यक्तियों की हत्या/हत्या की गई है, जिनमें से एक महिला भी थी।

बलात्कार किया। इसलिए, यह देखना अदालत का कर्तव्य है कि असली दोषियों पर मामला दर्ज किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती

उपरोक्त तथ्य यह है कि पाँच व्यक्तियों की हत्या/हत्या कर दी गई है और कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और क्योंकि

अभियोजन/जाँच एजेंसी उन चार व्यक्तियों के खिलाफ कोई जाँच नहीं कर रही है जिनकी पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष 7.6.2003 पर की गई थी। जाँच में चूक का लाभ

और/या अनुचित जाँच को उन व्यक्तियों के पास जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो

असली अपराधी हैं और वास्तव में जिन्होंने अपराध किया है। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, दुर्भाग्य से, उन चार व्यक्तियों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई थी जिनकी पहचान पीडब्लू8 द्वारा 7.6.2003 पर अपने बयान में की गई थी। यह रिकॉर्ड में आया है और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, वे चार व्यक्ति जिनकी पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा 7.6.2003 पर की गई थी, जो घटना के ठीक दो दिन बाद थे, अपीलार्थियों के अलावा अन्य थे-छह व्यक्ति जो मुकदमे के लिए आए थे। इसलिए, हमारी राय है कि यह उन चार व्यक्तियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच के लिए एक उपयुक्त मामला है, जिनकी पहचान पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा 7.6.2003 पर की गई थी, जिनका संदर्भ पी. डब्ल्यू. 13 द्वारा दर्ज किए गए बयान में है।

14. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से निवेदन और प्रार्थना का संबंध है, न केवल उन्हें बरी करने का, बल्कि पर्याप्त मुआवजा देने का, यह विचार के योग्य है। उपरोक्त तथ्यों से और मामले की परिस्थितियों में, यह सामने आया है कि कोई निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। जाँच निष्पक्ष और ईमानदार नहीं है। पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा 7.6.2003 पर जिन चार व्यक्तियों की पहचान की गई थी, उनकी कोई जांच नहीं है। इसके विपरीत, वर्तमान मामले में आरोपी खानाबदोश जनजाति थे और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और उन्हें फंसाया गया। एक को छोड़कर, वे सभी पिछले 16 वर्षों से जेल में हैं। सभी मौत की सजा की फांसी की तलवार का सामना कर रहे थे। छह अभियुक्त व्यक्तियों में से एक को बाद में अंकुश मारुति शिंदे बनाम पाया गया।

किशोर होना। Dr.Ashit सेठ की रिपोर्ट के अनुसार, एक मनोचिकित्सक, जिसने एक आरोपी की जाँच की-अंकुश मारुति शिंदे, जो था

बाद में किशोर पाए जाने पर उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह कई वर्षों से मानवीय परिस्थितियों में रह रहा है। उसे रखा गया था।

बहुत सीमित मानव संपर्क और मृत्यु के निरंतर भय के साथ एकांत कारावास में अलगाव। उन्हें केवल अपनी माँ से मिलने की अनुमति थी, और वह भी कभी-कभी। उन्हें अन्य कैदियों के साथ घुलने-मिलने की भी अनुमति नहीं थी। इसलिए, सभी आरोपी स्थिर रहे।

तनाव और मृत्यु के निरंतर भय में। चूंकि वे मौत की सजा का सामना कर रहे थे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने पैरोल, फरलोन आदि की किसी अन्य सुविधा का लाभ न उठाया हो। वे सभी जो 25-30 वर्ष की आयु के बीच थे (और उनमें से एक

अभियुक्त एक किशोर था) ने जेल में अपने जीवन के मूल्यवान वर्ष खो दिए हैं। उनके परिवार के सदस्यों को भी नुकसान हुआ है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, और हमारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

भारत के संविधान का अनुच्छेद 142, हम राज्य को निर्देशित करते हैं महाराष्ट्र प्रत्येक अभियुक्त को मुआवजे के रूप में रुपये 5,00,000/- का भुगतान करेगा, जिसे राज्य द्वारा विद्वानों के पास जमा किया जाएगा।

सत्र न्यायालय को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर और इस तरह की जमा राशि पर, उचित पहचान पर संबंधित अभियुक्त को इसका भुगतान किया जाना चाहिए। विद्वान सत्र न्यायालय को यह देखने का निर्देश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग उनके पुनर्वास के लिए किया जाए। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा जाता है कि उपरोक्त मुआवजा अभियुक्त को और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया जाता है।

15. वर्तमान आदेश से अलग होने से पहले, हम दृढ़ता से निंदा करते हैं

जाँच अभिकरण और अभियोजन पक्ष की ओर से आचरण। इस तरह की खामियों के कारण, और विशेष रूप से उन चार व्यक्तियों के रूप में जांच नहीं करने में जिनकी पहचान पीडब्लू8 द्वारा 7.6.2003 पर की गई थी, वास्तविक अपराधी कानून के चंगुल से बाहर हो गए हैं और मुक्त हो गए हैं। इस स्तर पर, गुजरात राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। किशनभाई (2014) 5 एस. सी. सी. 108 को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 22 और 23 में निम्नानुसार निर्देश दिया हैः

" 22. प्रत्येक बरी किए जाने को न्याय वितरण प्रणाली की विफलता के रूप में समझा जाना चाहिए, न्याय के कारण की सेवा में। इसी तरह, प्रत्येक बरी होने पर सामान्य रूप से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि एक निर्दोष व्यक्ति पर गलत तरीके से मुकदमा चलाया गया था। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य को एक प्रक्रियात्मक तंत्र स्थापित करना चाहिए जो [2019] 4 एस. सी. आर.

यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय का उद्देश्य पूरा हो, जो साथ ही निर्दोष लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उपरोक्त उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रत्येक राज्य के गृह विभाग को बरी करने के सभी आदेशों की जांच करने और प्रत्येक अभियोजन मामले की विफलता के कारणों को दर्ज करने का निर्देश देना आवश्यक माना जाता है। पुलिस और अभियोजन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति को उपरोक्त जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। उपरोक्त के हाथों में विचार

जाँच, और/या अभियोजन, या दोनों के दौरान की गई गलतियों को स्पष्ट करने के लिए समिति का उपयोग किया जाना चाहिए। द होम

प्रत्येक राज्य सरकार का विभाग कनिष्ठ जांच/अभियोजन अधिकारियों के लिए अपने मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपरोक्त विचार से तैयार पाठ्यक्रम सामग्री को शामिल करेगा। इसमें वरिष्ठ जांच/अभियोजन अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम-सामग्री भी शामिल होनी चाहिए। द.

अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की उपरोक्त जिम्मेदारी ऊपर उल्लिखित वरिष्ठ अधिकारियों की उसी समिति में निहित होनी चाहिए। हाथ में लिए गए निर्णय (मामले की जांच/अभियोजन में दस से अधिक स्पष्ट खामियों को दर्शाते हुए) और इसी तरह के अन्य निर्णयों को भी प्रशिक्षण में जोड़ा जा सकता है।

कार्यक्रम। जाँच के उभरते वैज्ञानिक साधनों, न्यायालयों के निर्णयों और मामलों के असफल अभियोजन में विफलताओं की जाँच करते समय स्थायी समिति द्वारा प्राप्त अनुभवों के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा पाठ्यक्रम-सामग्री की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी। हम आगे निर्देश देते हैं कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को 6 महीने के भीतर लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि वे व्यक्ति जो जांच/अभियोजन से संबंधित संवेदनशील मामलों को संभालते हैं, वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उसी को संभालने के लिए प्रशिक्षित। इसके बाद, यदि उनके द्वारा कोई चूक की जाती है, तो वे निर्दोष होने का नाटक नहीं कर पाएंगे, जब उन्हें उनकी चूक के लिए विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

23. किसी आपराधिक मामले में बरी होने पर, इस तरह के बरी होने के लिए जिम्मेदार संबंधित जांच/अभियोजन अधिकारी (ओं) की पहचान अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रत्येक मामले में एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता है कि क्या चूक निर्दोष थी या दोषपूर्ण थी। प्रत्येक गलती करने वाले अधिकारी को जब भी बुलाया जाए, उचित विभागीय कार्रवाई द्वारा अपनी चूक के परिणाम भुगतने होंगे। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अधिकारी को जांच जिम्मेदारियों से स्थायी रूप से वापस लिया जा सकता है, अंकुश मारुति शिंदे बनाम।

या अस्थायी रूप से, विशुद्ध रूप से उसके दोष पर निर्भर करता है। हम कुछ अपरिहार्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता के लिए भी मजबूर महसूस करते हैं, जो आपराधिक मुकदमेबाजी के दोनों पक्षों को होने वाली बीमारी को कम कर सकते हैं। तदनुसार, हम प्रत्येक राज्य सरकार के गृह विभाग को सभी त्रुटिपूर्ण जांच/अभियोजन अधिकारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश देते हैं। सरासर लापरवाही या दोषपूर्ण चूक के कारण अभियोजन मामले की विफलता के लिए जिम्मेदार ऐसे सभी गलती करने वाले अधिकारियों/अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना चाहिए। उपरोक्त

तैयार किया गया तंत्र इसमें गंभीरता का संचार करेगा

जाँच और अभियोजन कर्तव्यों का निष्पादन, और यह सुनिश्चित करेगा कि जाँच और अभियोजन उद्देश्यपूर्ण हैं और

निर्णायक। तत्काल निर्देश भी 6 महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा।

15.1 हत्या और बलात्कार वास्तव में एक निंदनीय कार्य है और प्रत्येक अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। इसलिए, किशनभाई (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए,

इसके अलावा, हम महाराष्ट्र राज्य के गृह विभाग के मुख्य सचिव को इस मामले को देखने और सरासर लापरवाही या गैर-इरादतन चूक के कारण अभियोजन मामले की विफलता के लिए जिम्मेदार ऐसे गलती करने वाले अधिकारियों/अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश देते हैं, वास्तविक अपराधी कानून के चंगुल से बाहर हैं और जिनकी खामियों के कारण मामले के परिणामस्वरूप पांच व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और एक महिला के साथ बलात्कार भी किया गया। इसलिए हम प्रमुख को निर्देश देते हैं

अभियुक्त द्वारा एतद्वारा अनुमति दी जाती है, और सभी अभियुक्तों को एतद्वारा उन अपराधों के लिए बरी कर दिया जाता है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। नतीजतन, महाराष्ट्र राज्य द्वारा सजा ए 3, ए 5 और ए 6 को बढ़ाने के लिए दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया है। 17. अभियोजन पक्ष को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन चार व्यक्तियों की पहचान की गई है जिनकी पहचान पीडब्लू 8 द्वारा की गई थी-764 पर एक घायल चश्मदीद गवाह।

ए <आई. डी. 1] कुख्यात अपराधियों की तस्वीरों के एल्बम से उनके नाम के साथ, यानी घटना के तुरंत बाद, जिनके विवरण और नाम पी. डब्ल्यू. 13 द्वारा 7.6.2003 पर दर्ज पी. डब्ल्यू. 8 के बयान में उल्लिखित हैं, ताकि वास्तविक दोषियों को उस अपराध में दंडित न किया जाए जिसमें पांच व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और एक महिला के साथ बलात्कार भी किया गया था।

बी.

निधि जैन